पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 मार्च, 2021 ई0 (फाल्गुन 15, 1942 शक सम्वत्) [संख्या–10

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	115–140	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	113–114	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	85–102	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

लोक निर्माण अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

25 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 156/III(1)/2021–15(अधि0)2005, TC-I–लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड में मौलिक रूप से अधिशासी अभियन्ता के पद पर नियुक्त/कार्यरत **श्री प्रहलाद सिंह बृजवाल** को नियमित चयनोपरान्त अधीक्षण अभियन्ता, (सिविल), वेतनमान रू0 1,23,100–2,15,900 (वेतन मैट्रिक्स लेवल–13) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– श्री प्रहलाद सिंह बृजवाल को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री प्रहलाद सिंह बृजवाल की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। श्री बृजवाल, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करते हुए अग्रिम आदेशों तक वर्तमान तैनाती स्थान पर कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव।

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

31 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 149/XX–3–2021–13(03)2020–श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 25, वर्ष 1946) की धारा–6 के अनुसरण में जनपद पिथौरागढ़ के थाना कोतवाली पिथौरागढ़ पर पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–107/2018 धारा–420, 406 भा0द0वि0 के अन्वेषण तथा उपरोक्त अपराध से जुड़े हुए या सम्बन्धित प्रयासों, दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किये गये अथवा वर्णित वाद के उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध अथवा अन्वेषणों के लिए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के विस्तार की सहमति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के आदेश अथवा उनकी ओर से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of "The Constitution of the India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 149/XX(3)-2021-13(03)2020**, Dehradun dated January 31, 2021 for general information.

NOTIFICATION

January 31, 2021

No. 149/XX(3)-2021-13(03)2020--In pursuance of the provisions of Section 6 of Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Governor of the State of Uttarakhand is pleased to accord consent to the extention of power and jurisdiction of the member of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttarakhand for the investigation of case Crime No. 107/2018 u/s 420, 406 IPC registered at Police Station Kotwali Pithoragarh, District Pithoragarh, Uttarakhand the above mentioned offence and any other offence or offences committed in the course of the same transaction or/and arising out of the same facts of the said case.

By Order and in the name of the Governor of Uttarakhand,

NITESH KUMAR JHA,
Secretary, Home.

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

03 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 206/XX–3–2021–05(17)2013 टी0सी0–राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस सम्बन्ध में श्री राजीव कुमार खुल्बे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या–509/XX–3–2019–05(17)2013 दिनांक 05.07.2019 को विखण्डित करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संख्या 49, वर्ष 1988) की धारा–3 के अधीन मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल की संस्तुति पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कुमाऊँ परिक्षेत्र से सम्बन्धित प्रकरणों में सतर्कता अधिष्ठान, अपराध अनुसंधान विभाग एवं पुलिस अवस्थापना द्वारा पंजीकृत चालानों के विचारण हेतु सुश्री प्रीतू शर्मा, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल को उनके पद के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

अधिसूचना

10 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 67/XXVIII-1/01(295)2004–महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0–2प/रा0पु0/32/2004/15026, दिनांक 21.09.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि डा0 गोविन्द बल्लभ पुनेठा, चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईग्यारदेवी, पिथौरागढ़ दिनांक 16.09.2010 को अस्वस्थ होने के कारण स्वयं के इलाज हेतु बाहर जाने की सूचना देने के उपरान्त आतिथि तक अपने कार्य से अनुपस्थित चल रहे हैं।

2– तद्क्रम में उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 (भाग–2 से 4) (संशोधन) नियमावली, 2020 के प्राविधानानुसार शासन के पत्र दिनांक 08.12.2020 द्वारा डा0 पुनेठा को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

3– डा0 गोविन्द बल्लभ पुनेठा के पत्र दिनांक 04.01.2021 द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त डा0 पुनेठा की अनाधिकृत अनुपस्थित की तिथि दिनांक 16.09.2010 से डा0 गोविन्द बल्लभ पुनेठा की सेवा समाप्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी
सचिव।

गृह अनुभाग–7

अधिसूचना

10 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 137/XX-7/2019–01(69)2016–राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 2008) की धारा 87 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा नियमावली, 2018 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा नियमावली, 2018 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 में नये खण्ड (ठ), खण्ड (ण) अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगें, अर्थातः–

(ठ) **"पुलिस मुख्यालय"** से पुलिस महानिदेशक कार्यालय उत्तराखण्ड देहरादून अभिप्रेत हैं।

(ण) **"चयन समिति"** से सेवा के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए गठित चयन समिति अभिप्रेत है।

नियम 5 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5(ब) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिए गए नियम रख दिये जायेंगें, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5(ब) उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस /अभिसूचना) से निरीक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु ऐसे उप निरीक्षक पात्र होगें, जिन्होंने इस पद पर 10 वर्ष की सेवा चयन वर्ष की सेवा चयन वर्ष की प्रथम जुलाई तक पूर्ण कर ली हो। विगत 05 वर्षो का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित ना हो, विगत 05 वर्षो में कोई दीर्ध दण्ड न मिला हो, विगत 05 वर्षो में कोई लधु दण्ड ना मिला एवं विगत 05 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा ना रोकी गई हो।	5(ब) उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) से निरीक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु ऐसे उप निरीक्षक पात्र होगें, जिन्होंने इस पद पर 10 वर्ष की सेवा चयन वर्ष की प्रथम जुलाई तक पूर्ण कर ली हो। विगत 05 वर्षो का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित ना हो, विगत 05 वर्षो में कोई दीर्ध दण्ड न मिला हो, विगत 05 वर्षो में कोई लधु दण्ड ना मिला एवं विगत 05 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा ना रोकी गई हो।

टिप्पणी जहां विद्यमान नियम से निरीक्षक के पद पर चयन प्रकिया के माध्यम से पदोन्नत किये जाने वाले कर्मियों की पदोन्नति के संबंध में विचार करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो ऐसी दशा में समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिये चयन प्रकिया नियमावली, 2013 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

दंडित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विवेचनाधीन/ विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मी को भी उक्त पदोन्नति हेतु सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/ अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/ अभियोग में दण्डित होता है तो संबंधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग परीक्षा प्रकिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उसका पदोन्नति परिणाम सीलबन्द लिफाफे में रख दिया जायेगा। जांच/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अंतिम निर्णय होने के पश्चात् निर्णय के सादृश्य संबंधित कर्मी का मोहरबन्द लिफाफा खोला जायेगा ।

टिप्पणी जहां विद्यमान नियम से निरीक्षक के पद पर चयन प्रक्रिया के माध्यम से पदोन्नत किये जाने वाले कर्मियों की पदोन्नति के संबंध में विचार करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो ऐसी दशा में समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिये चयन प्रकिया नियमावली, 2013 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

नियम 9 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
9. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञाप्ति किये जाते है तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर के अवधि के दौरान विज्ञाप्ति किये जाते है तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में अधिकतम आयु सीमा उतनी होगी जैसा विनिर्दिष्ट की जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, होमगार्डस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों एवं अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जायको निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा सेना में की गयी सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में घटाने के उपरान्त तीन वर्ष की छूट निर्धारित आयु सीमा में देय होगी।	9. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए। **परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में अधिकतम आयु सीमा उतनी होगी जैसा विनिर्दिष्ट की जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, होमगार्डस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों एवं अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जायको निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा सेना में की गयी सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में घटाने के उपरान्त तीन वर्ष की छूट निर्धारित आयु सीमा में देय होगी।**

नियम 14 का संशोधन

5. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–14(1)(एक), 14(1)(पांच), 14(2), 14(3), 14(4), 14(5)(1),14(7) के स्थान पर एवं नियम 14(11), 14(12) एवं 14(13) का अंतःस्थापन करते हुए स्तम्भ–2 में दिए गए नियम रख दिए जाएंगे, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
14(1)(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले से आवेदन पत्र भरेगा। एक से अधिक जिलों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगें।	**14(1)(एक)** अभ्यर्थी केवल एक जिले से आवेदन पत्र भरेगा। एक से अधिक जिलों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगें। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र जालसाजी(फर्जी) पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
14(1)(पांच) भर्ती हेतु आवेदन पत्र उत्तराखण्ड राज्य के किसी एक जिले के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सीधे अथवा डाक के माध्यम से जमा किये जायेगें।	**14 (1)(पांच)** भर्ती हेतु आवेदन पत्र नियम 3 (ट) में निहित प्राविधान के अनुसार सम्बन्धित चयन आयोग को अन्तिम तिथि की सायं 17.00 बजे तक जमा करना होगा। आवेदन पत्र सम्बन्धित चयन आयोग के कार्यालय में कार्यालय दिवस, में सीधे भी जमा किए जा सकते हैं। अपूर्ण आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
14(2) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण प्रवेश पत्र जारी किये जाने से पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन –पत्र की जांच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत प्रवेश पत्र पात्र अभ्यर्थियों को जारी किये जाएंगें। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सीय परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख प्रवेश पत्र में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। प्रवेश पत्र शारीरिक मानक परीक्षा के कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुंच जाना चाहिए। यदि प्रवेश पत्र परीक्षा के प्रारम्भ के एक सप्ताह पूर्व प्राप्त नही होता हैं तो अभ्यर्थी सम्बन्धित जिले के प्राधिकृत अधिकारी से दूरभाष के माध्यम से या स्वयं सम्पर्क करेगा, अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र का क्रमिक कोड देगा। जिसके उपरांत विभाग/संस्था द्वारा प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति उसे जारी की जाएगी।	**14(2)** आवेदन पत्र/समस्त प्रमाण पत्रों का परीक्षण, प्रवेश पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो, किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो, तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। सम्बन्धित चयन आयोग प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अभ्यर्थियों की जनपदवार सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएगा। पुलिस मुख्यालय जिले के भर्ती केन्द्र के लिए प्राधिकृत केन्द्र प्रभारी को उनसे सम्बन्धित जनपद की सूची उपलब्ध कराएंगे। सम्बन्धित जनपद के केन्द्र प्रभारी अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करेंगे। शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का दिनांक और समय सहित, परीक्षा–कोड/नाम/पता और परीक्षा केन्द्र स्थल आदि का उल्लेख सम्बन्धित प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। भर्ती के सम्बन्ध में निर्धारित तिथियों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी द्वारा दी जा सकती है। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जाने हेतु अपेक्षित हों, को प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। प्रवेश पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुंच जाने चाहिए। यदि प्रवेश पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी सम्बन्धित भर्ती केन्द्र से सम्पर्क कर, प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते है।
14(3) समस्त अभ्यर्थी एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होगें जिनकी प्रकिया परिशिष्ट–2 एवं परिशिष्ट–3 में दी गई है।	**14(3)** सम्बन्धित चयन आयोग प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर पात्र समस्त अभ्यर्थियों की एक सूची पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा, जिनके द्वारा एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा करायी जायेगी, जिसकी प्रकिया परिशिष्ट–2 एवं परिशिष्ट–3 में दी गई है।

14(4) उप नियम (3) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा करायी जायेगी, जिसकी प्रकिया परिशिष्ट–4 में दी गई है।	14(4) उप नियम (3) के अधीन शारीरिक मानक/दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय सम्बन्धित चयन आयोग को प्रेषित करेगा। नियम 3 (ट) में प्राविधानित चयन आयोग द्वारा सफल घोषित अभ्यर्थियों की एक लिखित परीक्षा करायी जायेगी, जिसकी प्रकिया परिशिष्ट–4 में दी गई है।
14(5)(1) लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर आरक्षण नियमों के दृष्टिगत एकीकृत श्रेणीवार मैरिट सूचियां बनाई जायेंगी तथा इसे संबंधित चयन आयोग व उत्तराखण्ड पुलिस की वैबसाइट पर भी प्रकाशित किया जायेगा।	14(5)(1) उप नियम (4) के अनुसार चयन आयोग रिक्तियों के सापेक्ष लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की प्राप्त अंको के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों के दृष्टिगत प्रवीणता सूची तैयार कर चयन आयोग की बैवसाईट में प्रकाशित करेगा तथा पुलिस विभाग की वैबसाईट में प्रकाशनार्थ पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा।
14(7) सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति तत्समय प्रचलित प्राविधानों के अनुसार निर्गत की जायेगी।	14(7) सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति नियम 3(ट) में प्राविधानित चयन आयोग द्वारा निर्गत की जायेगी।
बन्ध पत्र	14(11) अन्तिम रूप से चयनित/चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से इस आशय का बन्ध पत्र लिया जायेगा कि वे प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष तक सेवा में रहेंगे। यदि उनके द्वारा 05 वर्ष से पूर्व त्याग पत्र दिया जाता है अथवा उनके अनुरोध पर किसी दूसरी सेवा हेतु कार्यमुक्त किया जाता है तो नियमानुसार उनके प्रशिक्षण में व्यय धनराशि एवं प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें भुगतान किये स्टाईपेण्ड/वेतन की राशि का भुगतान उन्हें पुलिस विभाग को करना होगा।
शपथ पत्र	14(12) अन्तिम रूप से चयन के उपरान्त चिकित्सकीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप चयन समिति द्वारा चिकित्सा/स्वास्थ्य परीक्षा में अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा।
नियुक्ति पत्र	14(13) अन्तिम रूप से चयनित/चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में नियुक्ति पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। नियुक्ति आदेश का प्रारूप सम्बन्धित अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
नियम 17 का संशोधन	6. मूल नियमावली में नियम 17 के उपनियम (2) के पश्चात् उपनियम (3) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

(3) प्रत्येक निरीक्षक/उप निरीक्षक समय–समय पर निर्धारित शस्त्र चालान एवं फायरिंग अभ्यास करेगें।

नियम 21 का संशोधन

7. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 21(2)(ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
21(2)(ग) एक प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षक पूर्ववर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षकों से कनिष्ठ तथा पश्चातवर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षकों से ज्येष्ठ होंगे । परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती तथा पदोन्नति से नियुक्त उप निरीक्षक एक ही प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उस दशा में उनकी ज्येष्ठता जहां तक हो सके दोनों स्त्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चकानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) निर्धारित की जायेगी ।	21(2)(ग) एक प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षक पूर्ववर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षकों से कनिष्ठ तथा पश्चातवर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षकों से ज्येष्ठ होंगे। परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती तथा विभागीय परीक्षा से पदोन्नत एवं ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत उपनिरीक्षक एक ही प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो उस दशा में उनकी ज्येष्ठता जहाँ तक हो सके तीनो स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चकानुक्रम में (प्रथम ज्येष्ठता, द्वितीय विभागीय परीक्षा से पदोन्नत एवं तृतीय सीधी भर्ती से नियुक्त उप निरीक्षक) निर्धारित की जायेगी।

नियम 22 का संशोधन

8. मूल नियमावली में नियम 22 में उपनियम (2) के पश्चात् नया उपनियम (3) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

परीविक्षा अवधि के दौरान वेतन

(3) परिवीक्षा के दौरान वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा;

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढाई जाती है, तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ऐसी बढाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिनी जायेगी।

परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थाई सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से संबंधित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

नियम 26 का अन्तःस्थापन

9. मूल नियमावली में नया नियम 26 को निम्नलिखित रूप से अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः–

पदोन्नति से इंकार

"26. पदोन्नति लेने से इन्कार करने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में 'उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग नियमावली, 2020' के प्राविधान तथा समय–समय पर कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के प्राविधान लागू होंगे।"

परिशिष्ट 3 का संशोधन

10. मूल नियमावली में परिशिष्ट 3 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान प्रविष्टि (क), (ड) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रविष्टि	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि
(क) ऐसे प्रत्येक दल के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में अनधिक 100 (एक सौ) इस प्रकार विनिश्चित की जाएगी जिससे कि परीक्षा की गुणवत्ता और उसकी प्रक्रिया प्रभावित न हो। इस परीक्षा/परीक्षण को सम्पूर्ण राज्य में निर्धारित में पूरा किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अतिशय संख्या के कारण पुलिस महानिदेशक ऐसा कोई विनिश्चिय कर सकते है और अपेक्षित समय का अवधारण कर सकते है।	(क) ऐसे प्रत्येक दल के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में अनधिक 100 (एक सौ) इस प्रकार विनिश्चित की जाएगी जिससे कि परीक्षा की गुणवत्ता और उसकी प्रक्रिया प्रभावित न हो । इस परीक्षा/परीक्षण को सम्पूर्ण राज्य में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अतिशय संख्या के कारण पुलिस महानिदेशक ऐसा कोई विनिश्चिय कर सकते है और अपेक्षित समय का अवधारण कर सकते है।
(ड.) शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तीर्ण/असफल अभ्यर्थियों की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और बोर्ड की वेब साईट पर नित्य अपलोड़ की जायेगी। एक बार 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्ण हो जाने पर सफल अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु गठित चयन समिति संयुक्त हस्ताक्षरों से घोषित की जाएगी।	(ड.) शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तीर्ण/ असफल अभ्यर्थियों की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। एक बार 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्ण हो जाने पर सफल अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु गठित चयन समिति संयुक्त हस्ताक्षरों से घोषित की जाएगी।

परिशिष्ट 4 का संशोधन

11. मूल नियमावली में परिशिष्ट 4 में नीचे स्तम्भ–1 में दी गई विद्यमान प्रविष्टि 3 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रविष्टि	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि
(3) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ¼ ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा। उत्तर पुस्तिका/OMR Sheet कार्बन प्रति के साथ तीन प्रतियों में होगी। OMR Sheet की प्रथम मूल प्रति परीक्षा आयोजन करने वाली संस्था द्वारा मूल्यांकन एवं अभिलेख हेतु रखी जायेगी। OMR Sheet की दूसरी कार्बन प्रति (मय छायाप्रति) लिखित परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था की अभिरक्षा में रखी जायेंगी। OMR Sheet की तृतीय कार्बन प्रति परीक्षा के बाद अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेंगे। लिखित परीक्षा के पश्चात् प्रश्न पत्र की उत्तरमाला (Answer Key) संबंधित चयन आयोग एवं उत्तराखण्ड पुलिस की वैबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ¼ ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा। उत्तर पुस्तिका/OMR Sheet कार्बन प्रति के साथ दो प्रतियों में होगी। OMR Sheet की प्रथम मूल प्रति परीक्षा आयोजन करने वाली संस्था द्वारा मूल्यांकन एवं अभिलेख हेतु रखी जायेगी। OMR Sheet की द्वितीय कार्बन प्रति परीक्षा के बाद अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेंगे। लिखित परीक्षा के पश्चात् प्रश्न पत्र की उत्तरमाला (Answer Key) संबंधित चयन आयोग की वैबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

परिशिष्ट 5 का संशोधन

12. मूल नियमावली में परिशिष्ट–5 में दी गई प्रविष्टि (ख) एवं (च) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गई प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रविष्टि	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि
(ख) लिखित परीक्षा हेतु तीन भाग का एक वस्तुनिष्ठ (Objective type) प्रश्न पत्र तैयार किया जायेगा। प्रथम भाग में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिन्दी, द्वितीय भाग में पुलिस प्रकिया तथा तृतीय भाग विधि (Law) का होगा। कुल प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा तथा प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 02 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर आधा अंक काट लिया जायेगा। प्रश्न संख्या 1 से 50 तक सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी, प्रश्न संख्या 51 से 100 तक पुलिस प्रकिया एवं प्रश्न संख्या 101 से 150 तक विधि (Law) से सम्बन्धित होंगे। प्रश्न पत्र हल करने हेतु 2 घन्टे का समय निर्धारित होगा। सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी का प्रश्न पत्र इण्टरमीडिएट स्तर का होगा तथा पुलिस प्रकिया व विधि (Law) विषयों के प्रश्नों का स्तर वह होगा जो सामान्य रूप से किसी पुलिस कर्मी द्वारा पुलिस विभाग की सेवा में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/अभिसूचना के पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित हो। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था तथा मूल्यांकन पुलिस मुख्यालय स्तर पर इस निमित्त गठित चयन समिति के माध्यम से कराई जायेगी। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकायें इस प्रकार से तैयार करायी जायेंगी कि इनका मूल्यांकन कम्प्यूटर से कराया जा सके। लिखित परीक्षा हेतु ओएमआर शीट तीन प्रतियों में तैयार की जायेगी । लिखित परीक्षा संपन्न होने के पश्चात ओएमआर शीट की मूल प्रति लिखित परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी । ओएमआर शीट की कार्बन प्रति(मय छायाप्रति) संबंधित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक एवं सेनानायक की अभिरक्षा में डबल लॉक में सुरक्षित रखी जायेगी। ओमआर शीट की एक कार्बन प्रति संबंधित अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेगा । चयन प्रक्रिया में आगे बने रहने हेतु लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होंगे। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने में विफल होंगे, उन्हें पदोन्नति के	(ख) लिखित परीक्षा हेतु तीन भाग का एक वस्तुनिष्ठ (Objective Type) प्रश्न पत्र तैयार किया जायेगा। प्रथम भाग में सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिन्दी, द्वितीय भाग में पुलिस प्रक्रिया तथा तृतीय भाग विधि (Law) का होगा। कुल प्रश्न पत्र 300 अंकों का होगा तथा प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 02 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर आधा अंक काट लिया जायेगा। प्रश्न संख्या 01 से 50 तक सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी, प्रश्न संख्या 51 से 100 तक पुलिस प्रक्रिया एवं प्रश्न संख्या 101 से 150 तक विधि (Law) से सम्बन्धित होंगे। प्रश्न पत्र हल करने हेतु 02 घन्टे का समय निर्धारित होगा। सामान्य ज्ञान/सामान्य हिन्दी का प्रश्न पत्र इण्टरमीडिएट स्तर का होगा तथा पुलिस प्रक्रिया व विधि (Law) विषयों के प्रश्नों का स्तर वह होगा जो सामान्य रूप से किसी पुलिस कर्मी द्वारा पुलिस विभाग की सेवा में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/अभिसूचना के पद पर नियुक्ति हेतु अपेक्षित हो। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था तथा मूल्यांकन सम्बन्धित चयन आयोग द्वारा कराया जायेगा। प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिकायें इस प्रकार से तैयार करायी जायेंगी कि इनका मूल्यांकन कम्प्यूटर से कराया जा सके। लिखित परीक्षा हेतु ओएमआर शीट दो प्रतियों में तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात ओएमआर शीट की मूल प्रति लिखित परीक्षा आयोजित कराने वाले संस्था के पास रखी जायेगी। ओएमआर शीट की एक कार्बन प्रति सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेगा। चयन प्रक्रिया में आगे बने रहने हेतु लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होंगे। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने में विफल होंगे, उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उसी स्तर (Stage) पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में सम्मिलित किया जायेगा।

लिए अयोग्य घोषित करते हुए उसी स्तर (Stage) पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में सम्मिलित किया जायेगा।

(च) पात्र अभ्यर्थियों में से चयन हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशानुसार लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड़ कराई जायेगी, जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड़ निर्धारित अवधि में पूर्ण करने में विफल होंगे उन्हें उसी स्टेज पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन उक्त मानकों के अनुसार जनपद/वाहिनी प्रभारियों द्वारा स्वयं करके सेवा अभिलेखों के लिए निर्धारित अंक उन्हीं के द्वारा प्रदान किये जायेंगे, सेवा अभिलेख के जिस चार्ट में अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों पर आधारित अंक प्रदान किये जायेंगे, वह चार्ट समस्त अभ्यर्थियों को दिखाकर उनसे इस बात की पुष्टि कराते हुए चार्ट में प्रत्येक अभ्यर्थी के हस्ताक्षर कराये जायेंगे कि उनके सेवा अभिलेखों पर आधारित समस्त प्रविष्टियों के अंक उन्हें प्रदान कर दिये गये हैं, तदोपरान्त अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेख चार्ट सम्बन्धित जनपद प्रभारियों द्वारा अपने परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक को अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकाओं सहित उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनका सेवा अभिलेखों से परीक्षण परिक्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर करने के उपरान्त अभ्यर्थियों को सेवा अभिलेखों पर आधारित प्राप्त अंकों का विवरण/चार्ट(एक्सल में सेल मर्ज किये बगैर सीडी एवं हार्ड कापी सहित) चयन समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। चयन समिति का गठन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जायेगा।

चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड़ कराई जायेगी, जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा/दौड़ निर्धारित अवधि में पूर्ण करने में विफल होंगे उन्हें उसी स्टेज पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल कार्मिक/अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों का निर्धारित मानकानुसार मूल्यांकन कर, कार्मिक को सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन में देय अंकों को सार्वजनिक करते हुए, उस पर 15 दिवस की समय सीमा निर्धारित कर आपत्ति /अनापत्ति प्राप्त करते हुए, मूल्यांकन सूची अन्तिम की जायेगी, जिस पर पारदर्शिता के दृष्टिगत कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। उक्त अन्तिम सूची पुलिस मुख्यालय के माध्यम से सम्बन्धित चयन आयोग को प्रेषित की जायेगी। लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची (सेवा अभिलेख मूल्यांकन अंक एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़कर) के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों एवं परिशिष्ट में दी गई रीतिनुसार प्रवीणता सूची तैयार कर चयन आयोग की वैबसाइट में प्रकाशित करेगा तथा पुलिस विभाग की वैबसाइट में प्रकाशनार्थ पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगा।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause of Article 348 of "The Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 137/XX-7/2019-01(69)2016**, Dehradun dated February 10, 2021 for general information.

NOTIFICATION

February 10, 2021

No. 137/XX-7/2019-01(69)2016–In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 87 of the Uttarakhand Police Act, 2007 (Act No. 1 of 2008) the Governor in a view to amend the Uttarakhand Police Sub Inspector and Inspector (Civil Police/Intelligence) Service Rules, 2018 makes the following rules :–

The Uttarakhand Police Sub Inspector and Inspector (Civil Police/Intelligence) Service (Amendment) Rules, 2021

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Police Sub Inspector and Inspector (Civil Police/Intelligence) Service (Amendment) Rules, 2021.

(2) It shall come in to force at once.

Amendment in rule 3 2. In the Uttarakhand Police Sub Inspector and Inspector (Civil Police/Intelligence) Service Rules, 2018 (hereinafter referred to as the Principal rules), in rule 3 after clause (k) new clause(l) , clause(m) shall be inserted namely:-

(l)"Police headquarter" means Director General of Police office Uttarakhand Dehradun.

(m) "Selection Commission" means selection committee constituted for selection of candidate for appointment/Promotion on post of service.

Amendment of rule 5 3. In the Principal rules for the existing rule 5(b) as set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
5(B). Inspector- For regular promotion to the post of Inspector, from Sub-inspectors (Civil Police/	**5(B).** Inspector- For regular promotion to the post of Inspector, from Sub-inspectors (Civil Police/ Intelligence),

Intelligence), such Sub-inspector shall be eligible, who have completed 10 years of service on post as on the 1st day of July of the year of recruitment.

The service records for the last 05 years must be satisfactory i.e. no any adverse entry is found to be recorded, no major punishment has been awarded during the last 05 years, no minor punishment has been awarded during the last 05 years and the integrity has not been withheld during the last 05 years.

Note- Whereas any difficulty arises in consideration of promotion of employees promoted to the post of

such Sub-inspector shall be eligible, who have completed 10 years of service on post as on the 1st day of July of the year of recruitment.

The service records for the last 05 years must be satisfactory i.e: no any adverse entry is found to be recorded, no major punishment has been awarded during the last 05 years, no minor punishment has been awarded during the last 05 years and the integrity has not been withheld during the last 05 years.

Provided that if the appeal of the punished employee is pending or the period for the appeal has not elapsed or the departmental proceeding is under process, the said candidate shall be allowed to appear conditionally for the above examination, but if during such examination process, his appeal is dismissed/ rejected or he is punished during departmental proceedings then concerned candidate shall be ousted from the promotional process but if the appeal / departmental proceeding/ writ petition of such employee is not finalized during the examination process, then the result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision of such appeal/ departmental proceedings. After completion of appeal/Departmental proceedings or final decision of writ petition in anticipation of decision sealed envelope of employee shall be opened

Note- Whereas any difficulty arises in consideration of promotion of employees promoted to the post of

Inspector through selection process form existing rules, in that case it will be dealt in accordance with the Uttarakhand Procedure of Selection for Promotion in the State Services (outside the preview of Public Commission) Rules, 2013, as amended from time to time.

Inspector through selection process form existing rules, in that case it will be dealt in accordance with the Uttarakhand Procedure of Selection for Promotion in the State Services (outside the preview of Public Commission) Rules, 2013, as amended from time to time.

Amendment of rule 9 4. In the Principal rules, for the existing rule 9 as set out in column I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rules here by substituted**
9. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 28 years on January 1 of the year in which recruitment is to be made if the posts are advertised during the period January 1 to June 30 and on July 1 if the post are advertised during the period July 1 to December 31:	9. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 28 years on July 1 of the year of recruitment:
Provided that the upper age limit in the case of candidate belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories as may be specified.	Provided that the upper age limit in the case of candidate belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories as may be specified.
The Scheduled Caste/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ home guard and dependants of freedom fighters and such other categories which may be notified by the government from time to time shall get 05 years relaxation in the prescribed age limit. The ex-servicemen shall get 03 years age relaxation which shall be applicable after deducting the period of their service in the army from their actual age.	The Scheduled Caste/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ home guard and dependants of freedom fighters and such other categories which may be notified by the government from time to time shall get 05 years relaxation in the prescribed age limit. The ex-servicemen shall get 03 years age relaxation which shall be applicable after deducting the period of their service in the army from their actual age.

Amendment of rule 14 5. In the Principal rules, for the existing rule 14(1)(i), 14(1)(v), 14(2), 14(3),14(4), 14(5)(1), 14(7) as set out in column-1 below, inserting new rule 14(11), 14(12) and 14(13) the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rules here by substituted**
14(1)(i). The candidate shall be allowed to apply only form one District. In the case of application submitted in more than one District, all the applications of the candidate shall be rejected.	**14(1)(i).** The candidate shall be allowed to apply only form one District. In the case of application submitted in more than one District, all the applications of the candidate shall be rejected. On finding certificates attached with Application fake legal proceedings shall be done against the concerned candidate
(v). The application shall be submitted to the office of Senior/ Superintendent of Police of a District directly or y post.	**(v)** Application for direct recruitment according to provision vested in rule 3(k) shall be submitted to concerned selection commission upto 5:00 pm by the last date of submission. Application form may be deposited directly in working day in office of concerned selection commission . Incomplete form shall not be entertained in any case.
14(2). Admit Card- All the copies of certificates submitted by a candidate shall be examined before issuance of the admit card. If any certificate which is shown to be annexed with the application form, is not found attached, the application form of the candidate may be rejected. After getting the Application Form examined through computer, the computerized admit card shall be issued to eligible candidates. For the Physical Standard Test, Physical Efficiency Test and Medical Test, the code/ name/ postal address/	**14(2).** All the copies of certificates /Application form submitted by a candidate shall be examined before issuance of the Admit Card. If any certificate which is shown to be annexed with the application form, is not found attached, the application form of the candidate may be rejected. Concerned Selection commission after examining Application form shall provide the district wise list of candidates to Police headquarter. Police headquarter shall provide the list of district to concerned centre in charge authorized for recruitment center to district. Center in charge of concerned district for physical standard and eligibility exam of

venue of the test along with the date and time, shall be clearly mentioned in the admit card, admit card should reach at least one week prior to the Physical Standard Tests. In case, the call latter is not received by a week before the start of the test, the candidate may contact the concerned authorised officer of District either on telephone or personally, for which, the Serial Code of the Application Form will have to be given. There after the Department/ Organization shall issue duplicate Call Latter to him.	candidate shall issue Admit card. For the Physical Standard Test, Physical efficiency Test the code/name/postal address/venue of the test along with the date and time, shall be clearly mentioned in the Admit Card information related to date fixed for recruitment may be provided to candidates through news paper by in-charge of concerned Recruitment Centre. Such document as required for examination by candidate shall be mentioned clearly on Admit Card. Admit card should reach atleast one week prior to the physical standard tests. In case, the Admit Card is not received by a week before the start of the test, the candidate may contact the concerned recruitment center.
(3) All the eligible candidates shall join a physical fitness test, the procedure for which has been given in Appendix-1	**(3)** Selection commission on the basis of application form received shall provide list of all eligible candidates, to police headquarter ,by whom physical standard and physical efficiency exam of qualifying nature shall be conducted the procedure of which is given in Appendix -2 and Appendix-3.
(4) All the candidates declared successful in physical fitness test under sub rule (3) shall have undergo a written test procedure for which is given in apendix-4.	**(4)** List of all the candidate declared successful in physical standard/fitness exam under sub rule (3) shall be provided to concerned selection commission by police headquarter one written exam of candidate declared successful by selection commission provisioned in rule 3(k) shall be taken, procedure of which is given in Appendix-4
(5) (1). Merit list- The unified merit list of each category shall be prepared of those candidates, who have been successful in the written test as per the marks secured by them within the purview of Reservation rules and it	**(5)(1).** According to sub rule (4) Selection Commission against the vacancy on the basis of secured marks of candidate successful in written exam within the purview of reservation rules preparing merit list shall publish on website of selection commission and shall provide to police headquarter for

shall be published on the website of concerned selection commission and Uttarakhand Police Website also.	publication on website of police department.
14(7). For direct recruitment, the advertisement shall be issued as per the prevalent provisions.	14(7) Advertisement for direct recruitment shall issued by selection commission provisioned in rule 3(k).
Bond	14(11) The candidates finally selected/ qualified in the medical test shall be required to give a bond to the effect that they shall remain in service for 5 years from the date of commencement of the training if they give resignation before 05 years or on their request they are relieved for any other service then as per rules, they shall be required to refund the police department the amount incurred in their training or the salary /stipend given to them during the training.
Affidavit	14(12) After final selection in prescribed Performa on non judicial stamp paper affidavit attested by public notary shall be given by candidate successful in medical test. Performa of affidavit shall be provided to candidates finally selected in medical/health examination.
Appointment	14(13) Finally selected/successful in medical test candidates shall be issued appointment letter by appointing authority in prescribed performa. Pefroma of appointment letter shall be provided by police headquarter to concerned officer

Amendment of rule 17 6. In the Principal rules, after the sub rule (2) of rule 17 new sub rule (3) shall be inserted as follows ,namely:-

(3) Every Inspector/Sub Inspector shall practice operation and firing of specified Arms from time to time.

Amendment of rule 21 7. In Principal rule title of existing rule 21(2)(c) as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
21(2)(c). All the Sub-inspectors who have undergone the training in one training session shall be junior to the Sub-inspectors who have taken training in the session prior to them and the recruits who have taken training in the later session shall be deemed senior to all the Sub-inspectors. Provided if, the Sub-inspectors selected through direct recruitment and by promotion have taken training in the same session then in that condition their seniority wherever possible shall be determined on the basis of quota fixed, for both the sessions, in cyclic order the first place shall be given to the person appointed by promotion.	**21(2)(c).** All the Sub-inspectors who have undergone the training in one training session shall be junior to the Sub-inspectors who have taken training in the session prior to them and shall be deemed senior to all the Sub-inspectors who have taken training in the later session. Provided if, the Sub-inspectors selected through direct recruitment and by promotion have taken training in the same session then in that condition their seniority , so far as may be, determined in the cyclic order (first seniority, second promoted by departmental examination and third Sub Inspector appointed by direct recruitment) in accordance with the prescribed quota for three sources.

Amendment of rule 22 **8.** In the Principal rules after sub rule (2) of rule 22 a new sub rule (3) shall be inserted, namely-

Salary during probation period

(3). Salary during probation, who is already holding post under Government, shall be regularized by relevant principal rules:

Provided that probation period may be extended due to unsuccessful in providing satisfaction, so until the appointed authority otherwise direct such extended period shall not be counted for salary increment.

During probation salary of such person who is already in permanent Government service shall be regularized by relevant rules applicable on general serviced servant related to work of state.

Insertion of rule 26 **9.** In the Principal rule a new rule 26 shall be inserted, namely-

Refusal of promotion

26. In relation to employee refuses to take promotion provision of Uttarakhand State Service Promotion Forgo rules,2020 and direction issued by department of personnel shall be applicable.

Amendment of Appendix-3 10. In the Principal for the existing entries (a) and (e) of Appendix– 3 as set out in column-1 below, the entry as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing entry	Column 2 Entries here by substituted
(a) For every such party the number of applicants shall (not more than 100 in one day) shall be determined in such manner so that the quality and process of the test is not affected. This test shall be carried out in entire state. The number of candidates being in excess the Director General of Police may take such decision and may decide the time for that.	(a) For every such party the number of applicants shall (not more than 100 in one day) shall be determined in such manner so that the quality and process of the test is not affected. This test / exam shall be carried out in entire state on time determined by police headquarter shall be carried out in entire state. The number of candidates being in excess the Director General of Police may take such decision and may decide the time for that.
(e) The result of physical fitness test shall be made available to the candidates very day. The list of successful/ unsuccessful candidates shall be displayed on the notice board and shall be uploaded daily on the website of the police. In one time the completion of test of 100 candidates the list of successful candidates shall be provided to selection committee constituted for physical efficiency test under their joint signatures.	(e) The result of physical efficiency test shall be made available to the candidates very day. The list of successful/ unsuccessful candidates shall be displayed on the notice board. In one time the completion of test of 100 candidates the list of successful candidates shall be declared under joint signatures of selection committee constituted for physical efficiency test.

Amendment of Appendix -4 11. In the Principal for the existing entry 3 of Appendix – 4 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing entry	Column 2 Entry here by substituted
3. For each wrong answer a negative marking of ¼ marks shall be given. The answer sheet/ OMR sheet shall be in triplicate, alongwith a carbon copy. The original copy of the OMR sheet may be kept by the agency conducting the written exam. Concerning agency also keep one	For each wrong answer a negative marking of ¼ marks shall be given. The answer sheet/ OMR sheet shall be in duplicate, alongwith a carbon copy. The original copy of the OMR sheet may be kept by the agency conducting the written exam. Concerning agency also

carbon copy with Photostat copy in their records. One carbon copy of the OMR sheet may be kept by the candidate after the written test, the answer key of the same shall be published on the website of Uttarakhand police, i.e. uttarakhandpolice.uk.gov.in.

keep one carbon copy with Photostat copy in their records. One carbon copy of the OMR sheet may be kept by the candidate after the written test, the answer key of the same shall be published on the website of concerned selection commission.

Amendment of Appendix -5 12. In the Principal for the existing entry (B) and (F) of Appendix – 5 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 **Existing entry**	**Column 2** **Entry here by substituted**
(B). For the written test on objective type paper containing three parts shall be prepared. The first part shall contain general knowledge and general Hindi, the second part shall contain police proceeding and the third one shall contain questions relating to law. Whole question paper shall be of 300 marks having 150 question. All questions shall be compulsory. Every question shall have 02 marks and on every wrong answer one fourth marks shall be deducted. Question no. 1 to 50 shall be of General Knowledge/ General Hindi. Question no. 51 to 100 shall be of police proceedings and question no 101 to 150 shall related to law. Two hours time shall be allotted to attempt the question paper. The General Knowledge/ General Hindi question paper shall be of intermediate level. And of the police procedure and law question paper shall normally be of the level, the knowledge of which is expected from the police personnel working in police department as head constable. To remain in further selection	**(B)** For the written test on objective type paper containing three parts shall be prepared. The first part shall contain general knowledge and general Hindi, the second part shall contain police proceeding and the third one shall contain questions relating to law. Whole question paper shall be of 300 marks having 150 question. All questions shall be compulsory. Every question shall have 02 marks and on every wrong answer one fourth marks shall be deducted. Question no. 1 to 50 shall be of General Knowledge/ General Hindi. Question no. 51 to 100 shall be of police proceedings and question no 101 to 150 shall related to law. Two hours time shall be allotted to attempt the question paper. The General Knowledge/ General Hindi question paper shall be of intermediate level. And of the police procedure and law question paper shall normally be of the level, the knowledge of which is expected from the police personnel working in police department as Sub Inspector Civil/Intelligence.

process, the candidate must obtain 50 percent marks in each part of the question paper which shall be compulsory. The candidate who shall fail in scoring 50 percent marks in every part of the question paper shall be declared unsuccessful for the promotion and shall be shunted out from the selection process at that very level. The candidate securing 50 percent marks in each part of the written paper shall have to undergo physical efficiency test.

Out of the eligible candidates the candidates who have passed written test shall be asked for a physical efficiency test (race) as per orders issued from the police head quarters and the candidates who will be unsuccessful in physical efficiency test (race) shall be shunted out of the selection process at the said stage. The candidates who have passed physical efficiency test/ race their service record shall be evaluated as per prescribed norms by the District/ Company Commandants themselves and marks for

Arrangement and evaluation of question paper/Answer sheet shall be done by concerned selection commission. Question paper /Answer sheet shall be prepared in such manner that their evaluation shall be done by computer.OMR for written examination shall be prepared in two copies. The first original sheet shall be kept by institution conducting examination for evaluation/record. the second copy may be allowed to take away by the candidate. to remain in further selection process, the candidate must obtain 50 percent marks in each part of the question paper which shall be compulsory. The candidate who shall fail in scoring 50 percent marks in every part of the question paper shall be declared unsuccessful for the promotion and shall be shunted out from the selection process at that very level. The candidate securing 50 percent marks in each part of the written paper shall have to undergo physical efficiency test(race).

A list of candidates passed in written examination shall be provided to Police headquarter by selection commission Out of the eligible candidates the candidates who have passed written test shall be asked for a physical efficiency test/ race by police head quarters and the candidates who will be unsuccessful in physical efficiency test /race shall be shunted out of the selection process at the said stage.Evaluating service record of employee/candidates successful in physical efficiency test according to

service records shall be given by them and the chart in which the candidates shall be provided marks for service records the said chart shall be shown to all the candidates and shall be signed by them as verified and after that the service records of the candidates shall be forwarded to Circle Police Inspector General / Deputy Police Inspector General alongwith the sheets of their character and these records after getting examined by the circle office. The result of service records based on the marks obtained/ chart (without entry of in the access without CD and hard copy) shall be made available to the selection committee. The selection committee shall be constituted by Director General of Police.

standard prescribed ,publicizing marks given on service record of employee ,receiving objection/no objection on them by determining time limit of 15 days evaluation list shall be finalized, on which no change shall be possible with a view of transparency. Said final list shall be presented to concerned selection commission through police headquarters selection commission on the basis of joint marks scored list(Adding marks scored in Physical efficiency test, service record evaluation marks and marks scored in written test) of candidates declared successful in written examination in accordance with existing reservation rules and manner given in Appendix shall publish the prepared merit list on its website and shall present it to police headquarters for publication on police department website.

By Order,

NITESH KUMAR JHA,
Secretary.

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति / पदोन्नति

25 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 61 / XX(1)–2021–3(12)2014–उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान (पे मैट्रिक्स में लेवल–10) के पद पर प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित स्थाई पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क.सं.	अधिकारी का नाम सर्वश्री / श्रीमती
1	ओम प्रकाश भट्ट
2	शिवराज सिंह
3	मातवर सिंह
4	प्रबोध कुमार घिल्डियाल
5	सुरेन्द्र प्रसाद बलूनी
6	अशोक कुमार सिंह
7	मोहन लाल
8	प्रेम लाल टम्टा
9	हीरा लाल बिजल्वाण
10	पूरन सिंह

2– उक्त स्थायी पुलिस निरीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान के पद पर पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी–

1. उक्तानुसार पदोन्नत किये जाने वाले कार्मिकों को उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा, जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के नियम–24 में प्रावधान है।
2. उक्तवत् पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों की ज्येष्ठता उक्त सेवा में पूर्व से नियुक्त किये गये तथा नियुक्त किये जाने वाले अन्य अभ्यर्थियों के साथ कालान्तर में सुसंगत नियमों के अनुसार निर्गत की जायेगी।
3. पदोन्नति के उपरान्त भी पदोन्नत किये जाने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य भविष्य में प्रकाश में आता है, तो ऐसे कार्मिकों की पदोन्नति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

3– प्रश्नगत पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या: 1393(एस / बी) / 2020 नदीम अतहर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, निर्देश याचिका संख्या–25 / डी0बी0 / 2020 श्री संदीप नेगी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य तथा अन्य, निर्देश याचिका संख्या–80 / डी0बी0 / 2020 श्री राजेन्द्र सिंह सवत व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य तथा अन्य एवं निर्देश याचिका संख्या–97 / डी0बी0 / 2020 श्री चंचल शर्मा व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य तथा अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

आज्ञा से,

अतर सिंह,
अपर सचिव।

कृषि एवं कृषि कल्याण अनुभाग–1

पदोन्नति/तैनाती

25 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 2646/XIII-1/2021–01(08)2018–उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन औद्यानिक प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण शाखा के अन्तर्गत वनस्पति विज्ञान अनुभाग में श्रेणी–2 (मशरूम विकास अधिकारी) में प्रोन्नति के रिक्त पदों पर नियमित पदोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'ख' सेवा नियमावली, 1993 के सुसंगत नियमों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के प्रासंगिक प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर श्री जगदीश चन्द्र भट्ट, अपर मशरूम विकास अधिकारी, ज्योलीकोट को तत्काल प्रभाव से वनस्पति विज्ञान अनुभाग में श्रेणी–2 में चयन वर्ष 2018–19 की रिक्ति के सापेक्ष वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400/– पुनरीक्षित वेतनमान–56100–177500 (लेवल–10) में नियमित पदोन्नति करते हुए मशरूम विकास अधिकारी, औद्यानिक प्रशिक्षण एवं परीक्षा केन्द्र, श्रीनगर के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री जगदीश चन्द्र भट्ट को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नत पद व नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड के कार्यालय में योगदान कर कार्यभार प्रमाणक निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड एवं शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

डा0 राम बिलास यादव,
अपर सचिव।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

28 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 227/एसटीए/दस–82/2021–उत्तराखण्ड शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या–619/IX/166/2005 दिनांक 17–01–2005 एवं अधिसूचना संख्या–53/IX-1/266(2004)/2019 दिनांक 11–01–2019 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक दिनांक 24–12–2020 के मद/संकल्प संख्या–05 के अन्तर्गत एअरपोर्ट सेवा एवं नगर क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित इलेक्ट्रिक बसों का अधिकतम किराया निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :–

एअरपोर्ट सेवा के अन्तर्गत संचालित		नगर क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित	
स्लैब	किराया रू0 में	स्लैब	किराया रू0 में
प्रथम 15 कि0मी0 तक	100.00	प्रथम 04 कि0मी0 तक	10.00
15 कि0मी0 से अधिक	200.00	04 कि0मी0 से 07 कि0मी0 तक	15.00
		07 कि0मी0 से 10 कि0मी0 तक	20.00
		10 कि0मी0 से 13 कि0मी0 तक	25.00
		13 कि0मी0 से 17 कि0मी0 तक	30.00
		17 कि0मी0 से 21 कि0मी0 तक	35.00
		21 कि0मी0 से 25 कि0मी0 तक	40.00
		25 कि0मी0 से 30 कि0मी0 तक	45.00
		30 कि0मी0 से 35 कि0मी0 तक	50.00
		35 कि0मी0 से अधिक	55.00

डॉ0 अनीता चमोला,
अपर सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग–02

कार्यालय ज्ञाप

01 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 104/XXIV-C-2/2021–02(6)08–एतद्द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, स्याल्दे (अल्मोड़ा) का नाम तत्काल प्रभाव से "सुरेन्द्र सिंह जीना राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, स्याल्दे (अल्मोड़ा)" किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एम0एम0 सेमवाल,
अपर सचिव।

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

02 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 84/XX-1/2021–3(12)2014–उत्तराखण्ड प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान (पे मैट्रिक्स में लेवल–10) के पद पर प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित स्थायी पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र.सं.	अधिकारी का नाम सर्वश्री
1	राजेन्द्र सिंह
2	महेश चन्द्र

2– उक्त स्थायी पुलिस निरीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान के पद पर पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:–

1. उक्तानुसार पदोन्नत किये जाने वाले कार्मिकों को उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा, जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली 2009 के नियम–24 में प्रावधान है।
2. उक्तवत् पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों की ज्येष्ठता उक्त सेवा में पूर्व से नियुक्त किये गये तथा नियुक्त किये जाने वाले अन्य अभ्यर्थियों के साथ कालांतर में सुसंगत नियमों के अनुसार निर्गत की जायेगी।
3. पदोन्नति के उपरांत भी पदोन्नत किये जाने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो ऐसे कार्मिकों की पदोन्नति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

3– प्रश्नगत पदोन्नति मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 1393(एस/बी)/2020 नदीम अतहर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, निर्देश याचिका संख्याः 25/डी0बी0/2020 श्री संदीप नेगी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, निर्देश याचिका संख्याः 80/डी0बी0/2020 श्री राजेन्द्र सिंह रावत व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं नर्देश याचिका संख्याः 97/डी0बी0/2020 श्री चंचल शर्मा व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य तथा अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

आज्ञा से,

अतर सिंह,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 हिन्दी गजट/106–भाग 1–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 मार्च, 2021 ई0 (फाल्गुन 15, 1942 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

NOTIFICATION

February 05, 2021

No. 16/XIV/8/Admin.A/2008--Ms. Reena Negi, 4th Additional District & Sessions Judge, Hardwar is hereby sanctioned child care leave for 15 days *w.e.f.* 11.01.2021 to 25.01.2021 with permission to prefix 09.01.2021 as 2nd Saturday & 10.01.2021 as Sunday holiday and suffix 26.01.2021 as Republic day holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 09, 2021

No. 17/XIV/13/Admin.A/2008--Shri Manish Kumar Pandey, Additional District & Sessions Judge, Almora is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 21.01.2021 to 30.01.2021, with permission to suffix 31.01.2021 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

February 09, 2021

No. 18/XIV/a-33/Admin.A/2018--Shri Shalender Kumar Yadav, Judicial Magistrate-II, Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned paternity leave for 15 days *w.e.f.* 20.01.2021 to 03.02.2021, in terms of G.O. No.819/XXXVII(7)34/2010-11 dated 31.12.2013.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 19, 2021

No. 19/UHC/XIV-a-15/Admin.A/2009--Sri Bhavdeep Ravtey, Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Dehradun is hereby sanctioned Paternity leave for 15 days *w.e.f.* 27.01.2021 to 10.02.2021.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 हिन्दी गजट/106–भाग 1–क–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 मार्च, 2021 ई0 (फाल्गुन 15, 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने अपना नाम DEEPAK AHLUWALIA से बदलकर DEEPAK RAJGURU कर लिया गया है। भविष्य में मुझे DEEPAK RAJGURU S/o SUBHASH CHAND AHLUWALIA के नाम से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

DEEPAK RAJGURU
S/o SUBHASH CHAND AHLUWALIA
निवासी 19/1 शिव विहार, राजपुर रोड
के सी सूप बार, देहरादून।

कार्यालय नगर निगम ऋषिकेश, जिला देहरादून

22 जनवरी, 2021 ई0

पत्रांक 2358/09/पेंशन/2020–21–उत्तराखण्ड नगर निगम अधिनियम 1959 की द्वारा -8 क, क (1) के अन्तर्गत कार्यकारणी समिति के अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर निगम ऋषिकेश सेवा निवृत्त सुविधा तथा भविष्य निधि विनियम की धारा 548 (1) (एफ) तथा (जी) के प्राविधानों के अंतर्गत बनाये गये हैं। को सभी नगर निगम के कर्मचारियों के अवलोकनार्थ एवं आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। सम्बंधित सभी पक्ष जिनको इस पर कोई आपत्ति एवं सुझावों देना हो प्रकाशन की तिथि के 30 दिवस के अंदर अपनी आपत्ति एवं सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

नगर निगम ऋषिकेश मे कर्मचारी सेवा निवृत सुविधा तथा भविष्य निधि विनियम -2014

उ०प्र० /उत्तराखंड नगर निगम अधिनियम -1959 की धारा 548 (1) एफ तथा जी के अंतर्गत ,

1-यह विनियम नगर निगम ऋषिकेश कर्मचारी सेवा निवृत सुविधा तथा भविष्य निधि विनियम -2014 होगा।

2-यह विनियम नगर निगम घोषित होने की तिथि से प्रभावी समझे जायेंग। और उन कर्मचारियों पर लागू होने जिनकी नियुक्ति नगर पालिका परिषद् /नगर निगम ऋषिकेश मे अकेंद्रीयत सेवा के पद पर हुई है।

2-परिभाषाएँ:- जब तक विषय व सन्दर्भ मे कोई प्रतिकूल बात न हो विनियमों मे

1-अधिनियम अथवा एक्ट से तात्पर्य ,उत्तराखण्ड नगर निगम ,अधिनियम 1959 से है।

2-परिलब्धियों का औसत धन। यदि इन 10 मास मे छुट्टी का समय मि समिल्लित हो तो उस परिलब्धियों का औसत धन। यदि इन 10 मासो मे,

छुट्टी का समय पर न रहा होता तो स्थाई नियुक्ति के लिए जो परिलब्धियों प्राप्त (एडमिसिविल) होती वे परिलब्धियां समझी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है की अधिनियम की धारा 577 (ड) मे वर्णित किसी अधिकारी के विषय मे यदि यह नियत दिन के पूर्व स्थाई हो चुका तो औसत उपलब्धिया निकालने के नियत दिन के पहले तथा नियत दिन और उसके पश्चात नगर निगम के अंतर्गत की गई साड़ी सेया के समय स्थाई नियुक्ति का समय तथा इस समय मे मिला येतन स्थाई वेतन मन जायेग।

परिलब्धियां। एमालुमेन्ट्स से तात्पर्य -

(क) पेंशन एवं अन्य सेवनिवृतक लाभों (सेवा निवृतक /डेथ ग्रेजुएटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियां से तात्पर्य उस वेतन से हैं जैसा की वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-2 के भाग -2 से 4 के मूल नियम -9(21)(1) मे परिभाषित ह। और जिसे कर्मचारी अपनी सेया निवृत की तिथि के ठीक पूर्व अथवा मृत्यु के तिथि को प्राप्त कर रहा था।

(ख) मूल वेतन का आशय वेतन समिति उत्तराखण्ड 2008 के प्रथम प्रतिवेदन मे की गई संस्तुतियों के अनुकम मे नगर निगम कर्मचारियों के दिनांक से पुनरीक्षित किये गए वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या 1190/2009/01(72)2008 दिनांक 16 अक्टूबर 2009 के अनुसार निर्धारित वेतन बैंड मे अनुमन्य अन्य प्रकार का वेतन समिल्लित नहीं होगा।

(ग) वेतन वेतन का आशय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त उस वेतन से है जो उन्हें सेवानिवृत तिथि /मृत्यु तिथि से एकदम पूर्व मूल वेतन +महंगाई भत्ता के योग रूप मे प्राप्त हो रहा था।

4. परिवार मे किसी अधिकारी /कर्मचारी के नीचे लिखे सम्बन्धी समिल्लित होंगे -,,,,,,

(क) धर्म पत्नी ,पुरुष अधिकारी के सम्बन्ध मे।

(ख) पति ,स्त्री अधिकारी के संबंध मे (इसमें सौतेले बच्चे और गोद लिये बच्चे भी समिल्लित होंगे

(ग) पुत्र

(घ) अविवाहित अथवा विधवा पुत्रियों

(ड) भ्राता -18 वर्ष से काम आयु का तथा अविवाहित और विधवा बहिनें (जिनमे विभार्त भरत तथा विभार्त बहने समिल्लित होगी

(च) पिता

(छ) माता

(ज) विवाहित पुत्रियों जिसमे सौतेली लड़किया भी समिल्लित होंगी।

पूर्व मृत पुत्र के बच्चे

5 अधिकारी एवं कर्मचारी से तात्पर्य है ऋषिकेश नगर निगम मे ऐसे अधिकारी /कर्मचारी से है जो नगर निगम के अंतर्गत किसी स्थाई सेवानिवृत्ति वेतनिया (पेंशनेबुल) पद पर नियुक्त हो तथा वह पद उस श्रेणी मे आता हो ,जिसका यह विनियम लागू हो अथवा उसको ऐसे पद पर धारणाधिकार हो या उसके ऐसे पद पर नियुक्त रहने का धारणाधिकारी हो (यूड होल्डलियन) यदि उसका वह अधिकारी निलंबित न कर दिया गया हो (हेडेड हिजलियन नात बीन सस्पेंडेड)

6 नियृति वेतनीय पद पेंशनेबुल पोस्ट से तात्पर्य ऐसे पदों से है। जिसके सम्बन्ध मे निम्लिखित तीन बाते पूरी होती है।

1 पद नगर निगम सेवा नियमायली के अंतर्गत नगर निगम ऋषिकेश के किसी संवर्ग मे हो।

2 नयोजन मौलिक और स्थाई हो और 3 सेवा कार्य के लिए भुगतान नगर निगम ऋषिकेश से किया जाता है ।

7 अर्हकारी सेवा का तात्पर्य ऐसी सेवा से है जो सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुसार सेवानिवृत्त वेतन प्राप्त करने के योग्य बनाती हो।

8 सेवानिवृत से तात्पर्य किसी अधिकारी कर्मचारी का नगर निगम सेवा अवधि पूर्ण करने पर असमर्थ (इनवैलिड स) होने पर बाध्य किये जाने पर 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अथवा सेवा सम्बन्धी किसी नियम के अनुसार स्वेच्छा से नियृति ग्रहण करने अथवा स्थाई नियुक्ति वाले पद के टूटने पर उसकी नियुक्ति दूसरे स्थाई पद पर न हो सकने की दशा मे सेवा नियृत होने से प्रतिबन्ध यह है की अधिकारी /कर्मचारी द्वारा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी हो।

3. अधिकारी /कर्मचारी जीने विनियम प्रभावी है यह विनियम लागू हो।

1 उन सभी अधिकारी /कर्मचारी पर जिनकी नियुक्ति इन विनियमों से प्रभावी होने के बाद नगर निगम द्वारा अधिनियम की धारा 106 के अंर्तगत स्थाई रूप से सृजित किये गए पदों पर स्थाई रूप से हो।

2 (क) उन सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे जो नगर निगम बनने के दिनांक 21-07-2011 को अधिनियम की धारा 577 ड के अनुसार स्थाई रूप से नियोजित पद पर निगम के कर्मचारी /अधिकारी हो गए है । प्रतिबंध यह है की म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा जमा किया गया भविष्य अंशदान जिसमे बोनस तथा उस से अर्जित किया गया ब्याज सम्मिल्लित हो ,नगर निगम द्वारा खोले गए निवृत्ति वेतन निधि मे जमा कर दिया जाएगा और म्युनिसिपल बोर्ड के अधीन की गई सेवाएं इस कार्य के लिए निगम के अंतर्गत की गई सेवाए समझी जाएगी। यदि इन विनियमों को अंगीकार करने वाला कोई कर्मचारी /अधिकारी प्रोविडेंट फण्ड मे जमा किय गया धन वापस ले चूका हो तो उसे देय अंशदान नगर निगम द्वारा खोले गए निवृत्ति निधि मे जमा करना होगा।

ख अकेंद्रीयत सेवा के जो अधिकारी /कर्मचारी इन विनियमों के लागु होने के बाद केन्द्रियत सेवा मे जाते है यह भी केन्द्रियत सेवा मिया जाने के ९० दिन के अंदर विकल्प द्वारा इन विनियमों सेवा मे जाते है यह भी केन्द्रियत सेवा मे जाने के ९० दिन के अंदर विकल्प द्वारा इन विनियमों को बनाये रख सकते है। किन्तु शर्त यह है कि यह विकल्प अंतिम होगा और केन्द्रियत सेवा से तैनाती कि नगर पालिका परिषद /नगर निगम मे उन्हें अपने मूल वेतन व समय समय पर लागू महंगाई भत्ते पर 12 प्रतिशत कि दर से या जो भी दर भविष्य मे संशोधित हो की दर से पेंशन अंशदान प्रत्येक माह नगर निगम ऋषिकेश को भेजना होगा।

प्रतिबन्ध है कि इस खण्ड के अंतर्गत किये गए विकल्प (आप्सन) मान्य होंगे जो इन विनियमों के प्रभयी होने के बाद इस हेतु अंतिम रूप से निर्धारित दिनांक तक चाहे सेवा मे रहते हुए या सेवा से निवृत होने के बाद किये गये हो यदि कोई अधिकारी /कर्मचारी व उसका आश्रित इन विनियमों के प्रभावी होने मे किसी विलम्ब होने के कारन विकल्प (आप्सन) करने के बाद आपका भविष्य निधि नगर निगम अंशदान सहित वापस ले चूका हो तो वह अधिकारी अथवा उसका आश्रित भी उन विनियमों के अंतर्गत देय सुविधा प्राप्त कर सकेगा। यदि वह उठाये नगर निगम के अंशदान को प्रोविडेंट फण्ड से वापस लेने के दिनांक से पुनः जमा करने के दिनांक तक डाक खाने मे बचत खातों मे समय समय पर निर्धारित ब्याज सहित एक बार मे निर्धारत तिथि जमा कर दें किन्तु यदि किन्ही परिस्थितियों मे नगर निगम अंशदान का कोई धारा निर्धारित तिथि तक जमा करने से रह जाते है तो वह बाद मे मुख्या नगर अधिकारी की स्वीकृति से जमा किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण :-

१ इन विनियमों को अंगीकार करने वाले अधिकारी के भविष्य निधि के खाते मे जमा धन उसके ऊपर बकाया अग्रिम तथा उसके बीमा की किश्तों मे दिए गए रुपये तथा उस पर जोड़े गए ब्याज को मिलकर होने वाला धनांक का एक तिहाई नगर निगम मुन्सिपल बोर्ड तथा अन्य स्थानीय निकाय या सरकार केन्द्रियत अथवा राज्य सर्कार का अनुदान समझा जाएगा यदि किसी अधिकारी /कर्मचारी को इस वितरण मे कोई आपत्ति हो तो इन विनियमों को अंगीकार करने वाले प्रार्थना पत्र के साथ अपनी आपत्ति मुख्या मुख्या नगर अधिकारी को भेजा ज सकता है जो अंतिम रूप से नगर निगम अंशदान निश्चित और निर्धारित करेंगे।

२.यदि किसी अधिकारी /कर्मचारी के न्यूनतम अंशदान (सब क्रिप्सन)से अधिक अंशदान किसी भविष्य निधि मे जमा किया हो तो इस प्रकार के अधिक अंशदान का धन उसके सामान्य भविष्य निधि मे जमा किया जाएगा तथा धनराशि 1 /3 भाग नगर निगम का अनुदान होगा।

भाग- 1

(डेथ कुम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी)

(मृत्यु समिल्लित सेवानिवृत उपादान)

1. जिन अधिकारियो/कर्मचारियों पर यह विनियम लागू होंगे ,उनकी सेवा निवृत्त पर उपादान ग्रेच्युटी दिया जायेगा जो उनकी परिलब्धियों के 16 गुने से आदिक न होकर वह धन होगा जो उनके द्वारा की गयी सेवा के प्रत्येक छमाई अवधि के अंतिम आहरित उपलब्धियों के बराबर होगी।

2. यदि कोई अधिकारी/ कर्मचारी सेवा निवृत्त के पैंशन केस निस्तारित होने के पूर्व मृत हो जाये जो उसे देय उपादान की धनराशि उनके द्वारा मनोनीत किये हुए व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति मनोनित न किया गया हो तो इसी विनियम के उप विनियम -2 मे दी गई परिभाषा के अनुसार परिवार के सभी सदस्यों को बराबर-2 देय होगा।

3.उप नियम १ और २ के अंतर्गत मिलने वाला उपदान दस लाख मात्र से अधिक नहीं होगा तथा शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए समय समय पर निर्धारित सीमा तक ही उपदान देय होगा ।

4. सेवा नियृत्त /डेथ कम ग्रेच्युटी को गणना हेतु सेवा निवृत्त /मृत्यु तिथि को अनुमन्य महंगाई भत्ते को सम्मिलित किया जायेगा।

(क) उप विनियम 1 से 4 तक वर्णित निवृत्ति उपदान केवल उन्ही अधिकारियो /कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्होंने पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली गई हो उदाहरणार्थ यदि मूल नियम ९ २१

1 .वित्त हस्तपुस्तिका खण्ड द्वितीय भाग -2 से 4 मे परिभाषित वेतन रु 16050 /-और पैंशन अर्ह सेवा 30 वर्ष 6 माह है। तो सेवा निवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी)16050*61/4=244762 रुपये होगी।

ख. मृत्यु ग्रेच्युटी मृत्यु उपादान ग्रेच्युटी दरें निम्न प्रकार है।

सेवा अवधि के अनुसार--

1-एक वर्ष से कम -परिलब्धियों का दो गुना

2-एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम -परिलब्धियों का छ:गुना

3- 5 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम परिलब्धियों का 12 गुना

4- 20 वर्ष या उससे अधिक अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाई की लिए परिलब्धियों से 1 /2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अंतिम आहरित अर्द परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रुपये दस लाख जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी।

टिपण्णी- यह दरें राज्य सरकारी द्वारा समय समय पर राज्य कर्मचारियों के लिए संशोदित दरों पर परिवर्तनीय होगी।

नामांकन नामांकन (नोमिनेशन)

5 -(1) प्रत्येक नगर निगम कर्मचारी जिसे यह विनियम लागू हो जो ही वह किसी स्थाई सेवा निवृत्ति वेतनीय पद धारणधिकार (लियन) प्राप्त करे उसे एक अथवा अधिक व्यक्तियों को उपादान (ग्रजुएटी) जिससे विनियम -4 के उपविनियमों के अनुसार

प्राप्त करने के लिए नामांकित करेगा। प्रतिबंद यह है की नामांकन करते समय अधिकारी का परिवार हो तो नामंकन परिवार के सदस्यों के होते हुए परिवार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को नहीं कर सकता है।

2 यदि कोई अधिकारी /कर्मचारी नामांकन मे कोई परिवर्तन करना चाहता है तो वह परिवर्तन उस अधिकारी /कर्मचारी द्वारा अपने सेवा काल मे ही किया जा सकता है। किन्तु यदि आवश्यक हो तो सेवा निवृत्ति के बाद भी मुख्य नगर अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से उसे नामांकन पत्र मे अपने पहले किये हुए नामांकन मे परिवर्तन अथवा नया नामांकन प्रस्तुत करके किया जा सकता है।

3 .प्रत्येक अधिकारी /कर्मचारी को नामांकन पत्र मे निम्नांकित व्यवस्था करनी होगी।

(क) की किसी निर्दिष्ट नामांकित व्यक्तियों का अधिकारी /कर्मचारी की मृत्यु से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा मई उस नामंकित व्यक्ति का अधिकार नामांकन पत्र मई दिए गए किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को ही की जावे किन्तु प्रतिबन्ध यह है की यदि। नामांकन करते समय अधिकारी के परिवार मे एक से अधिक सदस्य हों तो इस प्रकार निर्दिष्ट किया हुआ व्यक्ति उसके पर्यायर के किसी सदस्य के अतिरिक्त न हों।

(ख) की उपर कही हुई परिस्थिति के उत्तपन होने पर नामंकन निरर्थक हों जाएगा।

4 किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा उस समय का किया हुआ नामांकन जैसे परिवार नहीं था अथवा नामांकन मे उपनियम 3 के खंड क के अंतर्गत की हुई व्यवस्था अब उसके परिवार मे केवल एक हे व्यक्ति था जैसी भी दशा हों उस समय निरर्थक हों जीजी जब उसके परिवार हों जाए अथवा परिवार मे कोई अतिरिक्त सदस्य हों जाये।

5 क प्रत्येक नामांकन क से घ तक किसी प्रपत्र मि जो भी व्यक्ति विशेष की स्तिथि मे उचित हो किया जायेगा।

ख कोई अधिकारी / कर्मचारी किसी समय अपने नामांकन को मुख्य नगर अधिकारी अथवा उसके द्वारा मनोनीत किये अधिकारी को लिखित नोटिस भेजकर रदद कर सकता है किन्तु प्रतिबन्द यह है की वह अधिकारी /कर्मचारी उस नोटिस के बाद एक नया नामांकन पत्र इन विनियमों के अनुसार नोटिस दिए जाने की तिथि से 15 दिन के अंदर मुख्य नगर अधिकारी क प्रेषित कर दे।

6. किसी नामांकित व्यक्ति जिसके अधिकारी को उसकी मृत्यु के पश्चात दूसरे नामांकित व्यक्ति को पाने की व्यवस्था नामंकन पात्र मे उपनियम 3 के खंड क के अंतर्गत न की गई हो तो अथवा किसी ऐसी घटना हो जाने पर जिसके कारण उसका नामांकित उपनियम 3 के खंड ख अथवा उपनियम 4 के अंतर्गत निरर्थक हो जाता हो तो सम्बंधित अधिकारी /कर्मचारी मुख्य नगर अधिकारी को पूर्व नामांकन को रदद करते हुए इन विनियमों के अनुसार नए नामंकन पत्र के साथ लिखित नोटिस भेजेंगे।

7 प्रत्येक अधिकारी /कर्मचारी द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत भरे गये अपने नामांकन पत्र अथवा उसको रदद करने का नोटिस सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनीत किये गए अधिकारी को भेजा जान चाहिए मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनीत किये गए अधिकारी नामांकन पत्र प्राप्त करने पर तुरंत प्राप्ति का दिनांक लिखकर प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे। तथा अपनी अभिरक्षा मे रखेंगे।

8. किसी अधिकरी कर्मचारी द्वारा किया गया पूर्व मे नामंकन अथवा उसको रदद किये जाने का नोटिस जहा तक वह अखंडनीय वैलिड हो मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये दिनांक से प्रभावी होंगे।

9. यदि कोई अधिकारी /कर्मचारी जिसका परिवार हो अपने परिवार के एक अथवा अधिक सदस्यों का मृत्यु समिल्लित सेवा निवृत्ति उपदान (डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुइटी) पाने का नामांकन पत्र द्वारा अधिकार दिए बिन मृत हो जाये तो उपादान विनियम 2 के ओपियम 4 मे दी हुई श्रेणी के क्रम मे क से घ तक दिये सभी लिखित सदस्यों को विधवा पुत्रियों को छोड़ सामान भाग मिया वितरित कर दिया जायेगा ,यदि इस प्रकार के जीवित सदस्य न हो और एक अथवा अधिक विश्व पुत्रिया हो अथवा अधिकारी/कर्मचारी के परिवार के उपरोक्त उपनियम 2(4) श्रेणी के क्रम मे (ड) से झ तक वर्णित का एक या उससे अधिक सदस्य हो तो उपादान का धन उन सभी व्यक्तियों मे बराबर भागो मे बाँट दिया जायेगा।

भाग -2

पारिवारिक पेंशन

6 क पारियारिक पेंशन - 1 पारिवारिक पेंशन की दरें निम्न प्रकार होगी- मूल वेतन का 30 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रु 3500 प्रतिमाह। यह दरें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर संसोधित दरों के अनुरूप परिवर्तनीय होगी।

2 क पारियारिक पेंशन के लिए परिवार की परिभाषा :-

1 पति/पत्नी

2 मृत्यु के दिन को 25 वर्ष की आयु की पुत्रिया (सौतेले तथा सेवा निवृत्ति से पूर्व विधिवत गोद ली गई संतान भी समिल्लित है) को इस प्रतिबन्ध के साथ यदि वह जीवीकोपार्जन करने लगे तो जीविको पार्जन की तिथि अथवा 25 वर्ष से काम आयु तक जो भी पहले हो।

3 मृत्यु के दिन के 25 वर्ष से कम आयु की पुत्रिया को इस प्रतिबन्ध के साथ यदि वह जीवीकोपार्जन करने लगे या उसका विवाह हो जाये अथवा 25 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो इसमें सौतेली तथा सेवा नियृत्त पूर्व विधिवत गोद ली गई संताने भी समिल्लित होगी।

ख पारिवारिक पेंशन निम्लिखित दशाओ मे अनुमन्य होगी:-

क सर्व प्रथम विधवा /विधुर को आजीवा या पुर्नविवाह जो भी पहले हो तक मिलेगा।

ख विधवा /विधुर की मृत्यु पुर्नविवाह की दशा मे ज्येष्ठतम नाबालिक पुत्र को 25 वर्ष की आयु तक मिलेगी।

टिपण्णी :- जहाँ दो या दो से अधिक विधवायें तो पेंशन ज्येष्ठतम उत्तरजीवी विधवा को देय होगी।

शब्द ज्येष्ठतम का तात्पर्य विवाह के दिनांक के वरिस्थ्ता से है।

ग इस विनियम के अधीन दी गई पेंशन एक हे समय मे अधकारी /कर्मचारी के परिवार के एक से एक अधिक सदस्यों को देय नहीं होगी।

घ विधवा/विधुर का पुर्नविवाह /मृत्यु हो जाने पर पेंशन उनके अवयस्क सन्तानो को उनके प्राकृत अभिभावक (नेचुरल गार्जियन)के माध्यम से दी जायेगी किन्तु विवादस्पद मामलो मे भुगतान विधिक अभिभावक (लीगल गार्जियन)के माध्यम से दिया जायेगा।

ड. इस सम्बन्ध मे राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पेंशन नियमो मे संसोधन करने पर सम्बंधित नियम नगर निगम ऋषिकेश कर्मचारीसेवा निवृत्ति सुविशा तथा भविष्य निधि विनियम 2014 पर भी स्वतः लागू होंगे।

भाग -3

सेवा निवृति

1 अधिवर्षता /सेवी निवृति अशक्त या अन्य प्रकार से निवृत्ति वेतन या उपादान धनराशि उत्तराखंड के राज्य कर्मचारी पर लागू प्रक्रिया और सूत्र के अनुसार संगणित समुचत धनराशि होगी और वह धनराशि पुरे रुपये में अभिव्यक्त की जाएगी तथा जहा भी नियमानुसार गणना करने पर जारी निवृत्ति वेतन मे रुपये से काम कोई धन हो तो वह अगले पूर्ण रुपये मे बदल दी जायेगी।

2 उत्तराखंड सरकार के सेवानिवृत्ति राज्य कर्मचारी अर्थात पेंशनर को महंगाई या अन्य प्रकार की स्वीकृति की गयी धनराशि के अनुसार नगर निगम ऋषिकेश के पेंशनरो को देय होगी।

3 कोई वशिष्ट अतिरिक्त पेंशन स्वीकृति नहीं की जायेगी।

4 पद अक्षम और प्रतिकर पेंशन का वही अर्थ होगा जो सिविल सर्विस रेगुलेशन मे उसे लिए दिया गया हो।

रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स तथा सिविल सर्विस का प्रयोग ---

8 (1) इन विनियमों मे दी गयी स्पष्ट व्यवस्था को छोड़कर इन विनियमों के अंतर्गत देय उपादान निवृत्ति वेतन जिसमे पारियारिक सेवा निवृति वेतन भी सम्मिल्लित है- तथा सामान्य भविष्य निधि के सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 तथा समय समय पर उनकये किये गए परिवर्तन तथा इस सम्बन्ध मे जारी किये गए सरकारी आदेश लागू होंगे। यदि किसी विषय मे इन विनियमों मे स्पष्ट व्यवस्था न हो तो उस सम्बन्ध मे सिविल सर्विस रेगुलेशन के आधार पर मुख्या नगर अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

2 इन विनियमों के अंतर्गत डेट निवृति वेतन पेंशन सम्बंधित अधिकारी को उनकी मृत्यु के दिन तक दी जायेगी। यदि अधिकारी /कर्मचारी सेवा निवृति होने से पूर्व ही मृत हो जाये तो कोई निवृत्ति वेतन (पेंशन) उसे देय नहीं होगी।

पेंशन आंगणन :-

(क) पेंशन की धनराशि मूल नियम 9 (21)(1) मे परिभाषित सेवा निवृति के अंतर्गत उस मास के वेतन का 50 प्रतिशत होगी बशर्ते निगम के अधिकारी /कर्मचारी ने 20 वर्ष की अर्हकारी सेव् पूर्व कर ली हो यदि पेंशन अहकारी सेवा अयधि काम हो तो पेंशन की धनराशि उसी अनुपात मे कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी। तथा ऐसी स्तिथि मे पूर्व की भांति केवल सर्विस ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी।

(ख) उदाहरण यदि कोई अधिकारी /कर्मचारी दिनांक 28 -02 -2013 को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होता है और उसका वेतन उस तिथि मे रुपये 10000 था तो उसकी औसत परिलब्धि निम्न प्रकार होगी।

मूल वेतन -10,000*10=100000-00

औसत वेतन -10000/10=10000-00

10000*20/40=5000-00 या अंतिम आहरित वेतन का 50 फ़ीसदी यदि उक्त तिथि को उसे 15 वर्ष पूर्ण कर लिए गए हों तो पेंशन निम्नवत होगी।

10,000*15/40=3750

80 वर्ष या उससे अधिक आयु पेंशनर्स /पारिवारिक पेंशनर्स को निमनुसार अतिरिक्त पेंशन देय होगी।

पेंशनर्स /पारिवारिक पेंशनर्स	पेंशन मे वृद्धि
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक	30 प्रतिशत
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक	40 प्रतिशत
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक	50 प्रतिशत
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

ग) परन्तु न्यूनतम पेशन की धनराशि रु0 3500 प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिकतम वेतन 1-1-2006 से रु0 80000/- के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यदि कोई सेवक एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है तो समस्त पेंशन की धनराशि को जोड़कर न्यूनतम 3500/- निर्धारित की जायेगी।

घ) 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पर अन्तिम माह में आहरित वेतन या 10 माह का औसत परिलब्धियाँ जो भी कर्मचारी को लाभकारी हो के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी।

ड) 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनर्स से/पारिवारिक पेंशनर्स के 1-1-2006 से अनुमन्य पेंशन पर नियमानुसार अतिरिक्त पेंशन अनुमन्य कराई जायेगी। यह दरें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर राज्य कर्मचारियों के लिए संशोधित दरों के अनुसार परिवर्तनीय होगी।

भाग-4

साराशिकरण(कम्प्यूटेशन)

प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी जिसे इन विनियमों के विनियम 7 के अन्तर्गत निवृत्ति वेतन मिलता है, उसे अपने सेवा निवृत्ति वेतन (पेंशन) के धनांक के 40 प्रतिशत भाग तक किसी भाग के सांराशिकारण कम्प्यूटेशन कराने का अधिकार होगा तथा इस सम्बन्धित में उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन कम्प्यूटेशन रुल्स इस प्रतिबन्ध के साथ लागू होंगे कि उक्त कम्प्यूटेशन रुल्स के नियम 18 के तात्पर्य के लिए मुख्य नगर अधिकारी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पासा परीक्षण हेतु भेजेंगे तथा इस हेतु शासन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क प्रार्थी द्वारा उनके कार्यालय में जमा की जायेगी। पेंशन राशिकरण हेतु शासन द्वारा एक तालिका जारी की गयी हैं जिसमें दो स्तम्भ (कालम) है। प्रथम पेंशनर की आयु दर्शाता है और दूसरे में राशिकरण की यह दर अंकित है, जो प्रति एक रुपये प्रतिवर्ष की समर्पित पेंशन के लिये देय होती है। राशिकरण के आगणित हेतु किसी पेंशनर से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसके आगामी जन्म दिवस पर आयु के वर्ष आगणित किये जाते हैं। तदोपरान्त उक्त तालिका में इस आयु के सम्मुख अंकित दर को 12को गुणा किया जाता है, एवं इस प्रकार प्राप्त होने वाले गुणनफल के समतुल्य धनराशि ही पेंशनर को राशिकरण के रुप में देय होती हैं।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा वित्त वि0-सा0नि0 अनुभाग-7 संख्या-419/XXXii(7)2008 देहरादून दिनांक-27 अक्टूबर 2008 में संलग्न राशिकरण तालिका:-

1.00 रुपये वार्षिक पेंशन पर राशिकरण मूल्य			
अगली जन्म तिथि पर आयु	राशिकरण मूल्य क्रय किये दरों की संख्या पर	अगली जन्म तिथि पर आयु	राशिकरण मूल्य क्रय किये दरों की संख्या पर
1	2	3	4
17	19.28	51	12.96
18	19.20	52	12.66
19	19.11	53	12.35
20	19.01	54	12.05
21	18.91	55	11.73
22	18.81	56	11.42
23	18.70	57	11.10
24	18.59	58	10.78
25	18.47	59	10.46
26	18.34	60	10.13
27	18.21	61	9.81
28	18.07	62	9.48
29	17.93	63	9.15
30	17.78	64	8.82
31	17.62	65	8.50
32	17.46	66	8.17
33	17.25	67	7.85
34	17.11	68	7.53
35	16.92	69	7.22
36	16.72	70	6.91
37	16.52	71	6.66
38	16.31	72	6.30
39	16.09	73	6.01
40	15.87	74	5.72
41	15.64	75	5.44
42	15.40	76	5.17
43	15.15	77	4.90
44	14.90	78	4.95
45	14.64	79	4.40

1	2	3	4
46	14.37	80	4.17
47	14.10	81	3.94
48	13.82	82	3.72
49	13.54	83	3.52
50	13.25	84	3.32
		85	3.13

/ सेवा नियृत्त अथवा पी पी ओ की तिथि से एक वर्ष के भीतर राशिकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 40 प्रतिशत भाग के राशिकरण के प्रयोजन हेतु स्वास्थय परीक्षा से छूट अनुमन्य होती है।

पैंशन के राशिकरण भाग को सेवानियृत्त की तिथि से 15 वर्ष अथय राशिकरण के फलस्वरुप पैंशन की राशि से जब से कमी ही गयी हो उसके 15 वर्ष बाद पुनस्थापित कर दी जायेगी।

संराशिकरण की गणनः- उदाहरण-

अधिकारी कर्मचारी की पैंशन 5000/- रुपये निर्धारित होती है अतः राशिकरण की राशि 2000×8,194×12=196656/-

राशिकरण स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र पैंशन स्वीकृति के उपरान्त ही दिया जा सकता है।

(2) राशिकरण स्वीकृति उसके धनराशि कम करने उसे बिना करण बताये अस्वीकृति करने तथा उस संदर्भ में सूचनायें मांगने का अधिकार मुख्य नगर अधिकारी को है।

(सि0 पै0 कम्प्यूटेशन नियम संख्या 3बी)

(3) विनियम संख्या 7 के अनुसार स्वीकृति पेंशन की धनराशि के एक तिहाई भाग तक संराशित कम्यूट कराया जा सकता है।

(4) संराशिकरण की स्वीकृति निम्नाकित प्रयोजनों हेतु दी जा सकती है

क- निवास भवन के निर्माण या क्रय

ख- लिये गये ऋण की अदायगी

ग- बच्चों या अश्रितों की शिक्षा

घ- विवाह व्यय हेतु

ड- व्यापार प्रारम्भ

(सि0 पै0 कम्प्यूटेशन नियम संख्या 4बी)

(5) कोई भी संराशिकरण तब तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता जब तक प्रार्थी के स्वास्थय तथा संभावित जीवन के सम्बन्ध में स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को पूर्ण सन्तोष न हो जाये दिये गये सभी विवरण पूर्णतः सत्य है एवं बची हुई पैंशन प्रार्थी व उसके परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। यदि किसी समय स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाये कि कोई सूचना प्रार्थी द्वारा असत्य दी गयी है या कोई तथ्य छिपाया गया है तो भुगतान से पूर्व भी संराशिकरण की स्वीकृति रद्द की जा सकती है।

(सि0 पै0 कम्प्यूटेशन नियम संख्या 7)

(6) संराशिकरण की धनराशि समय-2 सरकारी कर्मचारियों के लिए इस हेतु निर्धारित आधार पर तालाका इससे पूर्व में दी गयी है।

(सि0 पै0 कम्प्यूटेशन नियम संख्या 8)

(7) संराशिकरण हेतु प्रार्थना पत्र विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष जिसके अधीन पेंशनर सेवा निवृत से पूर्व कार्यरत था, के माध्यम से स्वीकृति प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिये।

(सि0 पै0 कम्प्यूटेशन नियम संख्या 14 के आधर पर)

(8) विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र में दिये विवरणों की तथा विशेष रुप से यह जांच करनी है कि संराशिकरण प्रार्थी के स्पष्ट और स्थाई अनुशंसा के साथ-2 प्रार्थना पत्र तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र लेखा अधिकारी को भेजना चाहिये।

(9) चिकित्सा प्रमाण पत्र देने के लिये निर्धारित प्राधिकारी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया गया है। प्रार्थी शासन द्वारा निर्धारित शुल्क मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा करके आगे दिये गये पत्र पर चिकित्स प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा। प्रत्येक संराशिकरण के प्रार्थना पत्र के लिए अलग-2 चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। यदि प्रार्थी शुल्क जमा करने के बाद चिकित्सा परीक्ष न कराये तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा शुल्क लौटाने की स्वीकृति देने शुल्क लौटाने की स्वीकृति देने पर शुल्क लौटाया जा सकेगा।

(सि0 पै0 कम्प्यूटेशन नियम संख्या 22 के आधर पर)

(10) लेखा अधिकारी आवश्यक जांच के बाद संराशिकरण की धनराशि तथा संराशिकरण के बाद देय पेंशन की धनराशि निर्धारित करके मुख्य नगर लेखा परीक्षक को आवश्यक जांच हेतु भेजेंगे, और उनके प्रमाण पत्र के आधार पर संराशिकरण के प्रभावी होने का दिनांक भरकर लेखा अधिकारी स्वीकृति प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेगे तथा आवश्यक भुगतान तथा नियृत्त वेतन भुगतान आदेश पत्रिका मे तदनुसार प्रविष्टियाँ करने की कार्यवाही करेंगे। संराशिकरण की स्वीकृति की सूचना लेखाधिकारी की पेंशनर को इस प्रकार भेजना उचित है कि वह उसे प्राप्त कर समय से भुगतान कर सकें।

(11) संराशिकरण स्वीकृति आदेश के दिये गये दिनांक से ही प्रभावी होगा। यह दिनांक स्वीकृति आदेश के पारित होने के प्रायः 15 दिन बाद होना उचित है तथा सारी गणना इसी आधार पर होनी चाहिए और संराशिकरण का धनांक यथासम्भव उसी दिन भुगतान किया जान चाहिये।

(सि0 पै0 कम्प्यूटेशन नियम संख्या 10 व 11 के आधर पर)

(12) प्रार्थी स्वीकृति से पूर्व तक अपना प्रार्थना पत्र वापिस ले सकता है। संराशिकरण स्वीकृत हो जाने के बाद संराशिकरण का धन प्राप्त न करने तथा उसे लौटाने तथा पूरी पेंशन प्राप्त करने का अधिकार प्रार्थी को नहीं होगा और न यह स्वीकृत किया जा सकता है।

(13) यदि संराशिकरण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के दिनांक या उसके बाद बिना संराशिकरण का धन प्राप्त किये पेंशनर मृत हो जाये तो सारा धन उसके उत्तराधिकारियों को भुगतान किया जायेगा।

(सि0 पि0 कम्प्यूटेशन नियम संख्या 13)

(14) 1- यदि चिकित्सा परीक्षण की राय में किसी ऐसी विशेष परीक्षक की आवश्यकता हो जिसे यह नहीं कर सकता है तो यह परीक्षा प्रार्थी के व्यय पर करायी जायेगी।

2- किसी पेशनर के निम्नलिखित के किसी भी एक रोग से प्रभावित होने पर पेंशन के किसी भाग का संराशिकरण नहीं किया जा सकता है।

1- एन्यूरिजम
2- टयबरक्लोसिस आइफ लंग्स
3-डायबिटिज
4-हाई ब्लड प्रेशर 200 सिस्टामिक से उपर 12-बैरीबेरी
8- ल्यूकोरिया
9- एनाजिला पेक्टाशिस
10- एपोलेक्सी
11- एसीटीज

5-हाई ब्लड प्रेशर 160 सिस्टामिक से उपर (एल्कोन्यूवेरिया के साथ)
6-अनकम्पनसटेड कार्डिक डीजीज
7-परनिशस एनिमिया कीयिवा
12- बैरीबरी
13- केसर के ऑपरेशन के बाद
14- मिटल एटोनोसिस 15- इनसैनिटी

(सि0 पि0 कम्प्यूटेशन नियम संख्या 18)

(15) चिकित्सा प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र के प्रथम भाग को पेंशनर से अपने सामने भराना चाहिए तथा उसके बाद उसकी पूरी चिकित्सा परीक्षा करके अपनी सम्मति, यह स्पष्ट करते हुए कि प्रार्थी ने कहा तक सही सूचना दी हैं, देनी चाहये। चिकित्सा प्राधिकारी को प्रपत्र का भाग प्रार्थी के सामने भर के उसके हस्ताक्षर तथा उसके बायें हाथ का अंगूठा व उंगलियों के निशान करा लेने चाहिये। प्रार्थी की आवश्यकता के कारणों पर विचार करके अपनी सहमति देनी चाहिए।।

(सि0 पि0 कम्प्यूटेशन नियम संख्या 19)

(16) सि0 पि0 कम्प्यूटेशन रूल के नियम 24 के अनुसार यदि कोई पेंशनर चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिक आयु को स्वीकार न करने अथवा जिसे चिकित्सा परीक्षा मई संराशिकरण के योग ना पाए जाये तो उसे अपने व्यय से चिकित्सा प्राधिकरी के समुख दोबारा उपस्थिति होने की अनुमति निम्नांकित शर्तो पर दी जा सकती है।

1 -पहली तथा दूसरी चिकित्सा परीक्षा मई समय का अंतर एक वर्ष से अधिक हो।

2- दूसरी चिकित्सा परिषद् द्वारा हो तथा।

3 - चिकित्सा प्राधिकारी को पिछली चिकित्सा परीक्षा से एक वर्ष से अधिक लिखित प्रमाण के अतिरिक्त पिछली चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी भेजी जानी चाहिये ।

भाग -5 विविध

नगर निगम पावतो की वसूल -

10 (1) मुख्य नगर अधिकारी की स्वीकृति से उपादान अथवा विकृति पारिवारिक पेंशन के घनांक से सम्बंधित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा नगर निगम को डे कोई धन काटा जा सकता है।

बर्खास्तगी का प्रभाव -

2 यदि कोई अधिकारी /कर्मचारी किसी कारण बर्खास्त कर दिया गया हो अथवा निकल दिया गया हो तो साधारणतया से अथवा से उसके परिवार कोई उपादान अथवा पेंशन देय न होगी , किन्तु यदि कार्यकरणी समिति ऐसा निश्चय करे तो विनियम -4 के अंतर्गत प्राप्त हो सकने वाले उपादान के घनांक का आधा दया के आधार पर स्वीकृत कर सकती।

नियुक्ति वेतन और उपादान के स्वीकृत विधि

12-1 क प्रत्येक अधिकारी के सेवा निवृत्ति होने के बाद और प्रत्येक दशा मे उसके एक महीने के भीतर उसके विभगीय प्रवष्टियों सेवा पुस्तिका या सेवा रोले मे अधिकृत अधिकारी द्वारा उल्लेखित की जायेगी।

ख -1 विभागीय अधिकारी द्वारा सारी जांच आवेषण के प्रकार तथा परिणाम अभिलिखित कर दिया जाना चाहिये।

ख -2 सेवा की अविच्छिन्नता समान्तर प्रमाण पर निर्धारित की जानी चाहिये। जहा तक संभव को प्रथम वर्ष और अंतिम तीन वर्षो की सेवा निश्चित रूप से प्रमाणित की जानी चाहिये प्रथम वर्ष सेवा यदि वे मिल सके तो सेवा पुस्तिका स्केल रजिस्टर एकवेंटस रोल अथवा असली वेतन बिल से की जानी चाहिये। यदि इस प्रकार के लेखा रिकॉर्ड उपलब्ध न हों तो प्रथम वर्ष की सेवा के लिए उस अधिकारी जिस पर पेंशन सम्बंधित पत्रावली तैयार करने का दायित्व हों, का अभिलेख स्वीकार किया जाएगा। विभागीय अधिकारी को प्रथम वर्ष की सेवा के प्रमाणीकरण उपरोक्त आधार पर वास्तविक अभिलेखों द्वारा किया जाना चाइये इससे पूर्व की सेवा काल को भी जो सहवर्ती प्रमाण उपलब्ध हों उसके आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए।

(ख-3) यदि किसी सेवा कालकोख-2 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता हो और उस काल में उपयोग किये गये सवैतनिकत था अवैतनिक अवकाशों के प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध होंतो उस समय के लिये स्वीकृत सेवाकाल निम्नप्रकार निकाला जाये।

(1) उपार्जित अवकाश के लिए यह माना जाना चाहिए कि अधिकारी ने पूरा अवकाश उपभोग किया गया है।अन्य देय अवकाश के सम्बन्ध में अब तक अन्य था प्रमाण पत्र न होतो यह माना जाना चाहिए कि उनका उपभोग किया गया है। यदि अधिकारी ने अवैतनिक अवकाश प्रायः लिया हो और उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध न होया शंकाजनक हो तो किसी एक वर्ष में ऐसे अवकाश का अधिकतम काल ही उतना इस प्रकार अवकाश विवरण उपलब्धन होने वाले या शंकाजनक सेवाकाल के पूरे वर्षों में प्रत्येक वर्ष माना जायेगा।

(2) यदि किसी अधिकारी की सेवा पुस्तिका या सेवारोल अथवा लेखों में उसके बिना वेतन अनुपस्थित के प्रमाण पाये जाते है और इस प्रकार की अनुपस्थिति के बाद भी अन्य प्रयोजनों के लिए उसकी से वाल गातारमानीगयी होतो किसी एक वर्ष में ऐसी अनुपस्थिति का जो अधिकरण काल हो उतनी अनुपस्थिति उसके सेवाकाल से प्रत्येक वर्ष में मानी जायेगी जिसका पूरा विवरण सेवा पुस्तिका या सेवारोल के अभिलिखित नहीं है।

(ख-4) यदि सेवा पुस्तिका या सेवा रोल उपलब्ध है और उसकी प्रविष्टियों की पुष्टिया प्रमाणी करण न हुआ होतो उसमें दिये गये सेवाकाल को व्यक्तिगत पत्रावलियों आदि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रमाणित किया जाना चाहिये। जहां इस प्रकार के अभिलेख उपलब्ध न होंतो उस काल के लिए अधिकारी से सादे कागज पर दोसहवर्ती अधिकारियों द्वारा प्रमाणित अभिलेख प्राप्तकर केर खना चाहिए। यदि इस प्रकार का प्रमाण स्वीकार करने में कोई कठिनाई प्रतीत होतो विभागीय अधिकारी द्वारा अपना अभिमत उल्लिखित कर देना चाहिए तथा उसी के अनुसार सेवा काल स्वीकार करना चाहिए।

(ख-5) पेंशन सम्बन्धी विवरण का आडिट निम्नांकित विधि से किया जायेगा, जब तक कोई विशेष आशंकान हो सा धारणत या सारी सेवा के सम्बन्ध की प्रविष्टियों की पुष्टि के लिए निम्नलिखित की विशेष जाँच की जानी चाहिए।

(2) यदि किसी अधिकारी की सेवापुस्तिका या सेवारोल अथवा लेखों में उसके बिना वेतन अनुपस्थित के प्रमाण पाये जाते है और इस प्रकार क अनुपस्थिति के बाद भी अन्य प्रयोजनों के लिए उसकी सेवा लगतार माना गयी होतो किसी एक वर्ष में ऐसी अनुपस्थिति का जो अधिकतम काल हो उतनी अनुपस्थिति उसके सेवाकाल से प्रत्येक वर्ष में मानी जायेगी। जिसका पूरा विवरण सेवा पुस्तिका या सेवारोल के अभिलिखित नहीं है।

(क) स्थायी नियुक्ति की प्रथम वर्ष की सेवा तथा पूर्व की अर्हकारी सेवा।

(ख) अन्तिम तीन वर्षों की अर्हकारीसेवा।

(ग) अकस्मात चुने गये किसी दो या तीन वर्षों की सेवा।

(घ) यदि सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि, परिवर्तन, बर्खास्तगी आदि की प्रविष्टियों होंतो उनकी विशेष जांच की जानी चाहिए।

(5) यदि सेवा पुस्तिका का सेवाकाल 33 वर्ष से अधिक का हो उसकी स्थायी नियुक्ति के प्रथम वर्ष के पूर्व की प्रविष्टियों की जांच आवश्यक नहीं उसकी सेवापुस्तिका तथा सम्बन्धित अन्यविवरणों कां प्रपत्रच के साथ पूरा कर के लेखाधिकारी को भेजेंगे।लेखाधिकारी सेावानिवृत्ति वेतन के धनांकत था अन्यविवरणों की जांचकर के मुख्य नगर लेखापरीक्षक को जांच के लिए सम्बन्धित कार्यालय भेजेंगे।उनकी जांच के बाद उपादान सेवानिवृति वेतनत था उपादान का धनांक मुख्य नगर अधिकारी अथवा मुख्य लेखापरीक्षक द्वारा उनके अधीनष्ठ अधिकारियों के विषय में स्वीकृत किया जायेगा तथा लेखाधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका प्रपत्र छ अधिकारी को भेजी जायगी।

प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगर अधिकारी अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षक (अपने अधीन स्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध में) का यह सन्तोष हो जाये कि किसी अधिकारी के उपादानत था सेवा निवृत्ति वेतन पेंशन की स्वीकृति मे अत्यधिक विलम्ब होगातो वह सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रपत्र झ में घोषणा पत्र देने पर अप्रत्याशित मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्त उपादान और सेवानिवृत्ति वेतन पेंशन का भुगतान स्वीकृति कर सकते हैं। इस प्रकार के भुगतान का धन लेखा अधिकारी द्वारा अत्यधिक सावधानी पूर्वक ऐसे संक्षिप्त परीक्षण, जिसे वह अविलम्ब कर सके, निर्धारित किये गये मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृति उपादान और मासिक सेवा निवृत्ति वेतन की धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिकन होगा।

(2) सेवानिवृत्ति वेतन और उपादान की भुगतान की विधि-

सेवानिवृत्ति वेतन लेखअधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा। भुगतान चैक द्वारा किया जायेगां। सेवानिवृत्ति वेतन पाने वाले व्यक्तियों को अपनी सेवा निवृति वेतन पुस्तिका तथा प्रपत्र ज में आवश्यक विवरण भर कर लेखाधिकारी को देना होगा। प्रपत्र जवनिवृति वेतन भुगतान आदेश पाने पर लेखाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी उपस्थिति व जीवित होने के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तदोपरान्त पेंशनर को चैक दी जायेगी इन विनियमों के अन्तर्गत भुगतान होने वाले उपादान के भुगतान में भी निवृत्ति वेतन के भुगतान की रीति काम में लायी जायेगी।

(3) यदि कोई अधिकारी अपने सेवा निवृत्ति वेतन का भुगतान डाक घर के मनी आर्डर द्वारा चाहता है तो वह प्रपत्र ज भर कर उस पर पिछले मासका सेवा निवृति वेतन का भुगतान की नीति और दिनांक लिखकर अपने जीवित होने का किसी राजपत्रित (गजेटेड) अधिकारी से मोहर के साथ प्रमाणित करां कर लेखाअधिकारी को भेजेंगे और लेखाधिकारी सेवानिवृत्ति के वेतन के धनांक से मनी आर्डर कमीशन काटकर शेष धन मनी आर्डर से भेजेंगे और किये गये भुगतान की सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका की कार्यालय में प्रविष्ट करेंगे। किसी भी दशा में 12 मास करने के पूर्व अधिकारी/कर्मचारी की सेवा निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पंजिका प्रतिलिपि में लेखा अधिकारी प्रविष्टियों पूरी करेंगे।

(4) पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के सेवानिवृत्ति पेंशन/पारिवारिक पेंशन के सुविधा जनक भुगतान निगम प्रशासन द्वारा बैंक में पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के खाते खुलवा कर उन के माध्यम से जमा किया जायेगा। मुख्य नगर अधिकारी अपने विवेक से यथोचित निर्णय लेने हेतु सक्षम होगे।

पेंशन निधि की स्थापना और भुगतान की प्रक्रिया

13- पेंशन निधि की स्थापना और भुगतान की प्रक्रिया-

मुख्य नगर अधिकारी के नियंत्रण में एक सामान्य पेंशन निधि स्थापित की जायेगी, जो ऋषिकेश नगर निगम पेंशन निधि के नाम से जानी जायेगी। जिसे आगे निधि कहा गया है। नियम 11 के द्वारा नगर निगम द्वारा देय पेंशन सम्बन्धी अंशदान की धनराशि इस निधि में जमा की जायेगी।

14-रोकड़ बही रखना-

निधि में जमा किया जाने वाला समस्त धन और उस से किये जाने बोल समस्त भुगतान की प्रविष्टी मुख्य नगर अधिकारी द्वारा रोकड़ बही में की जायेगी। इस विनियमावली के संलग्न प्रपत्र ड में रखी जायेगी।

15-पेंशन अंशदान के सम्बन्ध में प्रक्रिया-

पेंशन सम्बन्धी अंशदान की धनराशि प्रति मास के छठे दिनांक से पूर्व मुख्य नगर अधिकारी द्वारा बैंक में जमा की जायेगी। इस विनियमावली के संलग्न प्रपत्र ट में चालान तैयार किया जायेगा। चालान के साथ एक सूची होगी, जिसमें सेवा के सदस्य का नाम, पदनाम, वेतन और अंशदान की धनराशि का पूर्व विवरण दिया जायेगा।यह चालान चार प्रतियों में तैयार किये जायेगे। चालान की प्रथम और द्वितीय प्रतिया बैंक द्वारा प्रति मास के दसवें दिनांक तक मुख्य नगर अधिकारी को भेजी जायेगी। लेखाअधिकारी चालान की इन प्रतियों का मिलान करेगा और रोकड़ बही में अंशदान की राशि की प्रवष्टि करेगा। चालान की प्रतियां लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ गार्ड फाइल में सुरक्षित रखी जायगी।

16 - लेखा बही में रखा जाना - सम्बद्ध सेवा के सदस्य का खाता भी इस विनियमावली से सलग्न प्रपत्र ठ में रखा जाएगा। खाता बही में प्रति मास अधिकारी को भुगतान किये गए वेतन की धराशि और जमा किये गए अंशदान की धनराशि प्रविष्टि की जायेगी। खातबाहि में प्रविष्टियां चालानों की प्रतियों से की जायेगी। और प्रत्येक मास के अंत में खाताबही में प्रविष्टि किये गए अंशदान की धनराशि का मिलान रोकड़ बही में प्रविष्टि की गयी तत्समान धराशि से किया जाएगा। खाताबही का पुनर्विलोकन यह निश्चित करने के लिए किया जाएगा की समस्त सेवा के सदस्यों से सम्बंधित पेंशन सम्बन्धी अंशदान जमा कर दिया गया है या नहीं। यदि किसी मामले में उसे जमा नहीं किया गया है तो उसे तुरंत जमा कराया जाएगा।

17 - पेंशन आदेश भुगतान -

इस विनियमावली के अधीन पेंशन / पारिवारिक पेंशन/उपदान की धनराशि स्वीकृत कर दिए जाने के पश्चात प्रत्येक मामले में स्वीकृत की गयी पेंशन / पारिवारिक पेंशन/उपदान के भुगतान के लिए मुख्या नगर अधिकारी के द्वारा इस विनियमावली के सलग्न प्रपत्र ड में पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा। इस आदेश की प्रतियां पेंशन भोगी और उस विभाग को जहाँ से सम्बद्ध सेवा के सदस्य सेवा निर्वित हुआ है को पृष्ठांकित की जायेगी।

18 - लेखा परीक्षा जांच रजिस्टर -

पेंशन भोगियों को पेंशन समय पर और ठीक ठीक भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रपत्र थ में एक लेखा परीक्षा जांच रजिस्टर रखा जाएगा। इस रजिस्टर में प्रत्येक पेंशन भोगी का एक पृथक खाता खोला जाएगा।

सामान्य भविष्य निधि

19 - जिन अधिकारीयों को यह विनियम प्रभावी होंगे उन्हें नगर निगम के सामान्य भविष्य निधि खाते का सदस्य होना पड़ेगा और उसमे अपने 12 पैसे प्रति रुपये से कम न होते हुए भी 25 पैसा प्रति रूपया प्रति माह का अपना अंशदान जमा करना पड़ेगा। अंशदान की दर उन्हें अपनी नियुक्ति के शीघ्र बाद घोषित कर देना पड़ेगा। जब तक की इसमें किसी परिवर्तन का नोटिस मुख्य नगर अधिकारी अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षक को किसी वर्ष मार्च के प्रथम सप्ताह में न दें अगले वर्ष के लिए वही दर बानी रहेगी तथा वर्ष के बीच अंशदान की पूर्व दर में कोई परिवर्तन स्वीकृत न किया जाएगा।

20. भविष्य निधि के अंशदान में काटा गया धन प्रतिमास की 10 तारीख से पहले बैंक में जमा कर दिया जायेगा जिससे उस में ब्याज मिल सके।

21. मुख्य नगर अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अधिकारी/कर्मचारी की लिखित सहमति से सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धन में से बैंक मेंसे बैंक एलडीआर/राष्ट्रीय बचत पत्रों में विनियो जत कर दें।

22. प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को भविष्य निधि का सदस्य होने पर उस की समिति से सामान्य भविष्य निधि धन का भुगतान के लिए नामांकन पत्र विनियम 6 के अनुसार देना होगा।यह नामांकन पत्र मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी प्राप्त किये जायेंगे और प्राप्ति की दिनांक लिख कर तथा आवश्यक रजिस्टर में दर्ज कर के अपने अभिरक्षा कस्टडी में रखे जायेंगे।

23. सामान्य भविष्य निधि में जमा हुए धन में से यदि कोई अधिकारी चाहे तो मुख्य नगर अधिकारी उसे अस्थायी अग्रिम/ऋण स्वीकृत कर सकते हैं।इन अग्रिमों की स्वीकृति तथा उनकी वसूली की निम्नलिखित विधि अपनाई जायेगी।

(1) साधारणतः अग्रिम की धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के तीन मास के वेतन से अधिक न होगी। विषम परिस्थितियों में मुख्य नगर अधिकारी अपने स्वविवेक से अधिक धन भी दे सकते हैं लेकिन वह धनराशि भविष्यनिधि में जमा धनराशि के आधे से अधिक नहीं होगी।

(2) यह ऋण अधिकारियों को प्रायः ऐसे व्यय को वहन करने के लिए दिये जायेंगे जिनका वहन करना उसके सामाजिक तथा धार्मिक बन्धनों के अन्तर्गत अनिवार्य हो। इन व्ययों में अपने परिवार की शिक्षा, उनकी बीमारी, विवाह अथवा मृत्यु सम्बन्धी व्यय सम्मिलित होंगे।

(3) यह अग्रिम अधिकारी/कर्मचारी से 20 किश्तों में वसूल किये जायेंगे। इन ऋणों पर ब्याज के रुप में एक अतिरिक्त किश्त देय होगे।

(4) अग्रिम की ब्याज सहित वापसी पूरी होने के 12 महीने बाद ही दूसरा अग्रिम साधारण दिया जायेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में दूसरा अग्रिम 12 माह के पूर्व भी दिया जा सकता है।

24- यदि कोई अधिकारी चाहे तो अपने साधारण भविष्यनिधि में जमा धन से पालिसी का प्रीमियम अदा करने के लिए पालिसी को मुख्य नगर अधिकारी के नाम प्रतिग्रहण प्लस कर सकता है और प्लस की हुई पालिसी मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के संरक्षण कस्टडी में रहेगी। पालिसी की प्रीमियम के लिये अग्रिम को बीमा कारपोरेशन को भुगतान किये जाने के सबूत में कारपोरेशन की रसीद मुख्य नगर अधिकारी के पास जमा करनी होगी। इस प्रकार की पालिसी को चालू रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी। पालिसी परिपक्व (मैच्योर) होने पर उसका रुपया वसूल करके अधिकारी के भविष्यनिधि खाते में जमा कर दिया जायेगा।

यदि सम्बन्धित अधिकारी पालिसी परिपक्व होने के पूर्व सेवा निवृत्ति हो जाये तो मुख्य नगर अधिकारी के हित में पालिसी प्रति ग्रहण करके उसे लौटा देंगे।

25-किसी अधिकारी/कर्मचारी के खाते में सामान्य भविष्यनिधि में अपने खाते में जमा धन उसकी नगर निगम की सेवा में निवृत्ति होने पर उसे लौटा दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी चाहे तो सामान्य भविष्यनिधि में अपने खाते में जमा धन को निम्नलिखित कार्य के लिये प्रत्येक के साथ उल्लिखित प्रतिबन्धों के अनुसार मुख्य नगर अधिकारी की स्वीकृति से सेवा निवृत्ति होने के पूर्व भी निकाल सकता है।

(1) अपने निवास के लिये मकान बनाने, क्रय करने या इस सम्बन्ध में लिये गये ऋण को अदा करने अथवा लड़का, लडकी के विवाह करने के लिये अपने और उस पर मिले ब्याज के धन को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने या सेवा अवधि पूर्ण होने से दस वर्ष पूर्व।

(2) अपने आश्रित बच्चों की निम्नलिखित शिक्षा के लिए तीन महीन के वेतन या अविष्यनिधि में जमा धन के आधे तक जो भी कम हों।

(क) विदेश में विद्या (एकेडमिक) औद्योगिक (टैक्निकल), कला सम्बन्धी (प्रोफेशनल), पाठ्यक्रम "कोर्सेज" के लिए।

(ख) भारत में ऐसे चिकित्सा(मेडिकल), अभियांत्रिक(इंजीनियर) तथा अन्य औद्योगिक(टैक्निकल) अथवा विशिष्ट "स्पेसलाईज्ड" पाठयक्रमों कोर्सेज के लिए जिनकी पढ़ाई का समय तीन वर्ष से अधिक हो और वह शिक्षा इन्टरमीडिएट के बाद की हो, दोनों दशाओं में धन निकालने के लिए छः माह के भीतर उसे मुख्य नगर अधिकारी को सन्तोष दिलाना होगा कि धन उस कार्य में जिसके लिए वह निकाला गया था, प्रयोग कर लिया गया।

ऐसा न करने पर अग्रिम लिया गया धन मुख्य नगर अधिकारी को सामान्य भविष्यनिधि में उसके खाते में जमा करने के लिए लौटा देना होगा। जब तक कि मुख्य नगर अधिकारी उस धन के प्रयोग का समय बढ़ा न दें। यदि अधिकारी/कर्मचारी मुख्य नगर अधिकारी को या तो व्यय के विषय में सन्तोष दिला सकें अथवा बचा हुआ धन लौटाये, तो मुख्य नगर अधिकारी वह धन उसके वेतन से उचित किश्तों में वसूल करने के लिए सक्षम होंगे।

ह0 (अस्पष्ट)
सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, ऋषिकेश।

ह0 (अस्पष्ट)
नगर आयुक्त,
नगर निगम, ऋषिकेश।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 10 हिन्दी गजट/106–भाग 8–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।